<u>जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण</u>

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है में **लाइम स्टोन खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर में दिनांक 28.05.2025** को दोपहर **03:00 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"द इन्डियन एक्सप्रेस"** एवं **"दैनिक भास्कर"** में **दिनांक 24/04/2025** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स जे.एम. इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स जे.एम. इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गाँव– खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में खनिज– **लाइम स्टोन खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है में **लाइम स्टोन खनन** परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनन परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आंमत्रित किया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

सर्वप्रथम प्रथम श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि मारवाड़ मूण्डवा चूना पत्थर खदान एमएल II खनन पट्टा संख्या 03/1994, खनन पट्टा क्षेत्र 625 हेक्टेयर की जन सुनवाई प्रारम्भ हो चुकी है, चूंकि पिछले लम्बे से स्थानीय काश्तकार अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे, चुंकि वह लोग भी इस जन सुनवाई में पधारे है, तो उनके आग्रह एवं आप सब की रंजामंदी से इन्हें बैठने हेतु उचित स्थान दिया गया है, सभी लोगों का इस जन सुनवाई में स्वागत है, हर व्यक्ति, जो पीछे बैठा है, जो सामने बैठा है, खड़ा है, सबकी बातें सुनी जायेंगी। आप लोग जो भी अपनी बात कहेंगे, चाहे वो मौखिक रूप से कहें, चाहे लिखित रूप से कहें, एक-एक चीज रिकॉर्ड में लिखी जायेगी एवं साथ ही विडियो रिकॉर्डिंग भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजी जायेगी और इस जनसुनवाई में आप लोग जो मुदें उठायेंगे, उन मुद्दों को वो एग्जामिन करेंगे और उनका परीक्षण करेंगे, आप लोगों की बात, इस पूरी रिकॉर्डिंग को देखकर ही फिर यह तय किया जायेगा, कि इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। यह इस जनसुनवाई का उद्देश्य है।

आप सभी से अनुरोध है कि सभी जो फैक्चुअल एवं मुद्दे की बात है, वो ही कहें एवं आप लोग जिस भी प्रकार से बात कहेंगे, जैसे शांति से कहेंगे, आक्रोश में आकर कहेंगे तो सभी एक समान ही है, कभी कभी होता है, आक्रोशित होने पर हम काम की बात भूल जाते हैं तो मेरा अनुरोध है कि शांतिप्रिय तरीके से अपने काम की बात को कहे, किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य कोई नहीं करें, ये मेरा सब लोगों से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, कानून व्यवस्था हम लोग बना कर रखें। बाकि आपकी एक-एक बात जो है, प्रश्न भी हम नोट करेंगे, जो भी डिपार्टमेंट है, उसका उत्तर देंगे और जो भी प्रश्न एवं उसका उत्तर आयेगा, उसका परीक्षण करके ही भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण स्वीकृति दी जाये अथवा नहीं दी जाये इसका निर्णय करेंगा। तो पर्यावरण स्वीकृति के लिए ये जनसुनवाई चालू हो गई है, इस एमएल II को लेकर, पर्यावरण स्वीकृति को लेकर, पर्यावरण मुद्दों को लेकर आप लोग अपनी-अपनी बात रख सकते है, कह सकते है। आप लोग जब भी माईक लेना चाहे, उसको माईक देगें, निवेदन है कि आप अपना नाम गांव का नाम ये बता कर, फिर अपनी बात चालू करेंगे, फिर उससे आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि एडीएम साहब अभी आपने कहा कि महिलाओं की एन्ट्री नहीं है तो एक तरफ तो ऑपरेशन सिन्दूर चला रहे है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

प्रधानमंत्री जी और आप कह रहो हो कि जन सुनवाई में महिलाओं की एन्ट्री नहीं है, इसमें बड़ा झूठ कौन बोल रहा है, कम–से–कम ये तो देश जानेगा, कि आप झूठ बोल रहो हो या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे है। क्या महिलाओं के नाम खातेदारी नहीं है, यह जो जन सुनवाई हो रही है, उसमें महिलाओं के फेंफड़े खराब नहीं होगें क्या, यह अपनी बात कहने आई है, मंच के पास 2–4 लोग ज्यादा बैठ जाये तो क्या फर्क पड़ जायेगा और आप कह रहे हो ना कि आग्रह पर, तो हमारा कोई आग्रह नहीं है, अभी जो प्रोजेक्ट दिखा रहे थे मिस्टर नेहरा (पर्यावरणीय सलाहाकर) आप एक बार खड़े हो जाये और वापस जो आपने बताया कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक जन सुनवाई हेतु आम सूचना जो हमने द इंडियन एक्सेप्रेस में छपवाई है। एडीएम साहब आप तो पढ़कर अफसर बन गये, इंग्लिश पढ़ लोगे, यहां मूण्डवा–खेरवाड़ में इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग है, जरा बता दे आप, क्या यह नियम नहीं है, कि लोकल अखबारों में छापते इसको और इसमें क्या लिखा यह भी पढ़ों आप, मिस्टर नेहरा आप पढ़ीयें इसको, इसमें लिखा है, उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 28/05/2025 दोपहर 3:00 बजे, स्थान– एचईएमएम वर्कशॉप के पास, खनन लिज एरिया एमएल1, परियोजना स्थल, ग्राम ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला–नागौर में आयोजित की जायेगी। तो कल का जो आपका कार्यक्रम था ना उसका क्या था, वो क्या था फिर, क्योंकि सुनो मेरी बात, कई बार टकराव की स्थिति क्यों होती है, जहां कम्यूनिकेशन का गेप होता है। आप लोग छूपाने का प्रयास करते हो, तब पब्लिक को यह लगता है कि आप सिर्फ अपने हक के लिए यहां कर रहे हो, हमारे भी कुछ अधिकार है, हम बेल्ट हॉल्डर है, लोग जो यहां आये है किसान इनकी जमीनों पर ही आप अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हों, यहीं आप खनन करोगे, इनसे ही आप छूपाओगे, तो फिर काम कैसे चलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नियत के अन्दर खोट नजर आ रही है, कल कि जो जन सुनवाई थी, तीन बजे से पहले आज कार्यक्रम चल रहे है, तो जो 10 बजे से फोन कर रहे थे, के साहब जन सुनवाई है, पता ही नहीं किसी को, की जन सुनवाई क्या है, कब है, अभी जो है, ये कल से लेकर अभी 03 बजे तक, ये क्या था आपका?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि पूर्व में जो जनसुनवाई चल रही थी वह ML I के लिए थी। अभी जो जनसुनवाई चल रही है ML II के लिए है। अभी जिस परियोजना पर हम बात कर रहे है, और आपका सवाल यह है कि यहां के लोगों को इग्लिंश नहीं आती। ईआईए नोटिफिकेशन 2006 की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

अधिसूचना अनुसार 2 समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस जो नेशनल है, दैनिक भास्कर जो हिन्दी है और इस क्षेत्र में सभी हिन्दी भाषी हैं।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि आपसे जो पूछा जाये वह बडे पॉलाइटली भाषा में जवाब दें आप, हम जन प्रतिनिधि है और जन प्रतिनिधि से बात करने का लहजा सिखिये आप। मैं यह पूँछ रहा हूँ कि द इण्डियन एक्सप्रेस के अलावा कोई नेशलन लेवल का हिन्दी का अखबार है ही नहीं क्या?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि दैनिक भास्कर में 24 अप्रैल सूचना प्रकाशित की गई थी।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि मैं समझ रहा हूं सर पर्यावरण के सम्बन्ध में अधिसूचना की इन्होंने बात कही है। कल 10 बजे से लेकर आज 03 बजे तक जो कार्यक्रम हुऐ उसे यहां कि पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया, कम्यूनिकेट क्यों नहीं किया गया, यहीं पूँछ रहा हूँ, लेकिन शंका तो होगी ना हमारे कि टेंट लगा कर कल सुबह से बैठे हो 11 बजे से और उस कार्यक्रम की हमें किसी को सूचना भी नहीं है, अखबारों के माध्यम से यहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आरओ साहब कृपया माननीय बेनिवाल जी के प्रश्नों का उत्तर दें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि सर जो अभी जन सुनवाई हो रही है, उसकी सूचना द इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर में 24 अप्रैल 2025 को निकलवाई गई थी, उसकी प्रति डिस्पले में दिखाई गई है। और जो आज सुबह जन सुनवाई हुई थी उसकी राजस्थान पत्रिका में एवं हिन्दूस्थान टाइम्स में सूचना निकाली गई थी और कल वाली जन सुनवाई की सूचना भी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दूस्थान टाइम्स एवं एक स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति, दोनों में निकाली गई थी।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि यहां मुझे एक बात बताओ दैनिक नवज्योति से यहां कोई है क्या? मिडिया में जो बन्धु बैठे है, कोई दैनिक नवज्योति से आया क्या यहां? या तो यूंही कर लो आप डायरेक्ट ही, कि किसी को सूचना देनी नहीं, हम तो तब भी राजी है, हम लोग सोच लेंगे अंग्रेजों का जमाना फिर से आ गया। आप बताओं दैनिक नवज्योति से कोई आया क्या यहां पत्रकार? दैनिक नवज्योति की एक कॉफी भी नहीं आती इस इलाके में, आप कह रहे हो दैनिक नवज्योति में दिया है, ये बात अच्छी नहीं है। ये एक गलत परम्परा है, हमें

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

ही प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्यूनिकेट करें। उनका विश्वास जीतें, डंडे के जोर से, 500 पुलिस वालों को यहां जन सुनवाई में खड़ा कर दिया। काम करोगे तो 500 लोग यहां खड़ें रहेंगे, आपको लोगों का दिल जीतना है। यहां फैक्ट्री लगाओगे, उनका दिल जीत कर आप कैसे काम करोंगे, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। आपने इंडियन एक्सप्रेस में दे दिया, मेरे अनुसार मूण्डवा के अन्दर नवज्योति की एक काफी नहीं जाती होगी। यहां संवाददाता बैठ है, अगर हो तो बता दो, क्या कोई नवज्योति से है? ऐसे अखबारों में छापने का औचित्य ही क्या है। इसका मतलब आपके इंटेंट में फाल्ट है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि जन सुनवाई के चार–पांच दिन पहले आसपास के एक प्रत्येक गांव में मैन्युअल मुनादी करवाई गई है, जिसकी विडियोग्राफी भी करवाई गई है। लोगों को गली–गली जाकर सूचना दी गई है कि 27 एवं 28 तारीख को जन सुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि वैसे जन सुनवाई में बहुत सी चीजें आती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सत्य है कि जो पब्लिक कहती है, वो पब्लिक अपने मन से, दिल से और जो भुगती है, वो उनकी डिमाण्ड रहती है। हम भी इस पब्लिक हियरिंग में जरूर देखेंगे।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि एडीएम साहब मन की बात है, तो शादी में भी कार्ड छपवाते है, कार्ड देने पर जाते है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि मेरा यह निवेदन है कि इसको भविष्य में, क्योंकि यह कोई पहली और अंतिम पब्लिक हियरिंग नहीं है और भी आगे पब्लिक हियरिंग होगी, कृपया ये अंग्रेजी भाषी के साथ–साथ स्थानीय पॉपुलर हिन्दी अखबार में छपवाये।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि इस व्यवस्था का सुधार करवाये, या तो इसका नाम यह रख लो, कि जिन–जिन को अंग्रेजी आती है ना वहीं जन सुनवाई में आये। आप नोट लगा दो नीचे। कोई दिक्कत नहीं हम आयेगें ही नहीं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती। जब इसका नाम जन सुनवाई दे रहे हो तो आम व्यक्ति जो अनपढ़ है ना वो भी अपनी बात को रखे, वो कैसे रखेगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आपका सुझाव नोट कर लिया है, इसको और अच्छा सुधार करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि अभी आपके द्वारा जो टेबल दिखाई गई, इसके अन्दर सारा दिया गया था कि दूरियां कितनी–कितनी है। एक बार इसको वापस दिखाओ। जिसमें लिखा था, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन और पर्यावरण सारांश योजना का सारांश लिखा है। इसमें जो निकटम राज्य राजमार्ग SH-39 दक्षिण दिशा में, ये 5.5 है या 0.55 है?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि ये 5.5 कि.मी. है, जो एरियल डिस्टेंस है, रोड़ डिस्टेंस नहीं है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने पूछा कि एरियल का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि यहां से हवा में जो दूरी मापी जाती है, यहां से सीधे दूरी तथा ये NH-59 नहीं NH-58 है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने पूछा कि ये NH-58 कहां है, किस तरफ है?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि ये दक्षिण दिशा में 5.5 किलोमीटर है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि यहां इतने लोग बैठे है कोई बता दो ये कहा है? एडीएम साहब आप भी इस एरिया से निकलते होंगे, ये सरासर झूठ तो मत फैलाओं, ऐसा तो मत करों कम से कम। मीणा जी (क्षेत्रीय अधिकारी) इनको तो कम्पनी ने पैसे दिये और रिपॉर्ट बना दी, इनको तो पता ही नहीं कि एनएच कहा है। कम्पनी का मुख्य द्वार एनएच पर खुलता है, कहां से लाये 3.5 किलोमीटर आप।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि सर वो कम्पनी के सीमेंट प्लांट का द्वार खुलता है, हम खद्दान क्षेत्र (ML No II) से दूरी की बात कर रहे है। दोनों अलग–अलग है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि तो क्या वो यहां से 3.5 किलोमीटर है?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि हां, एरियल दूरी है ML No II की।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि यहां से नापों आप 3.5 किलोमीटर हो जायेगी ये? अभी गर्मी के अन्दर नापेंगे, आपको साथ चलना पड़ेगा, ऐसा मत करों, अन्धेरें में क्यों रख रहे हो आप। इस प्लांट की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई है, इसलिए एक झूठ को सच साबित करने के लिए आपको सौ झूठ बोलने पड़ रहे है। इसका सबसे पहले जो हुआ था ना, सबसे पूराने चैयरमेन इधर बैठे है, एक पूर्व चैयरमेन साहब सामने बैठे है, एक चैयरमेन साहब ये बैठे है, हम तो चलो दूर से आते है, आप भी दूर से आते हो। इसके अन्दर ये जो परिपत्र 1986 के अन्दर जब अलॉटमेंट हुआ है, इसका इसमें क्लियर लिखा है, कि ग्राम खेण एवं ईनाणा कि जनसंख्या 10 हजार से कम एवं कस्बां मूण्डवा की जनसंख्या 20 हजार से कम है, उद्योग के लिए प्रस्तावित भूमि कस्बां मूण्डवा की आबादी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चैयरमेन साहब आप सामने बैठे है, सही कह रहा हूं ना मैं, जबकि मूण्डवा के अन्दर ही प्लांट है यह क्यों नहीं कह रहे है, आप लोग। आप ही बता दो, वैसे ये नोट हो रही है, तो आप बता दो कि ये प्लांट मूण्डवा के अन्दर ही है या 4 किलोमीटर दूर है। फिर हम बहस ही नहीं करें, जब सारा कुछ झूठ ही हमें देना है तो फिर कोई फायदा भी नहीं है इसका, हम फालतू में ही बहस करें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि परियोजना प्रस्ताव में जो सूचना दी गई है, 3.5 किलोमीटर की वो एमएल II के लिए दी गई है। जो अभी जनसुनवाई एमएल II की है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि उसमें भी तो कमी है ना, एमएल II कहां है। यहां से 500 मीटर और माल लो। तो भी 3 किलोमीटर हो जायेगी क्या? अगर आप कहते है तो मान लेते है कोई दिक्कत नहीं। आप यह कह दो कि सारे कागज बंद करके हमें तो अंबुजा को पर्यावरण स्वीकृति देनी ही है, कोई बात नहीं दे दो आप, क्योंकि आप तो वहीं करोगे, हमें पता है। जब इसको जन सुनवाई नाम दिया है, लेकिन जनता की इतनी रखते ना तो आज यह नोब्बत नहीं होती, कि आपको यह कहना पड़े कि कानून व्यवस्था बनाये रखना। यह कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आग है, तभी तो आप डर रहें हो, कि कानून व्यवस्था खराब हो जायेगी और फिर मैं कह रहा हूं, आप आम जनता की सुनिये, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे सरल भाव से कह रहा हूं, आप इस तरह झूठी–मूठी इनफॉरमेशन देकर यहां पब्लिक के दिलों में अपने प्रति नफरत मत पैदा करों। आप पब्लिक को साथ में लो, आप उद्योग लगा रहे हो, आप यहां के लोगों को रोजगार दे रहे हो, हम यह नहीं कह रहे है कि उद्योग मत लगाओ, रोजगार

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

देवों, लेकिन आप इनके फेंफड़ो का भी ध्यान रखों। आने वाली पीढ़ी, आप तो चले जाओगे ट्रांसफर्र, हो कर, यहां से जाओ, और सुबह ही अखबार में आ जाये। लेकिन यहां के बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ी के फेंफड़ों की हिफाजत कौन करेंगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप हमें यह बताइये। आज इतना धुंआ आ रहा है, उसके अन्दर एमएल II की जो जन सुनवाई आप कर रहे हो, इतना झूठा मेरी मांग हो गया तो फिर क्या ही कहे आपको। सारी बातें, कन्वर्जन के रूल्स, आप यह कह दो कि हम उस टाइम थे नहीं। कन्वर्जन के रूल्स है कि किसी गांव की बाहरी सीमा के 2 किलोमीटर के अन्दर आप उद्योग नहीं लगा सकते। चैयरमैन साहब आप बैठे है, मैं सही कहा रहा हूं या गलत। आपने तो यह पढ़ें होंगे। किसी गांव से 2 किलोमीटर से कस्बें से तो सीमा और ज्यादा है। आपके पास नहीं है तो यह रहे मेरे पास परिपत्र 28/03/2007 का राजस्व विभाग द्वारा किया गया, यह हमने नहीं किया है, इसके अन्दर स्पष्ट लिखा है कि आपने तो यहां शहर के अन्दर तक लगा रहे है और धुंआ आप देखों, चाहे आप एमएल 2 की बात कर लो, कल की सुनवाई की सूचना ही ढ़ग से नहीं हो पाई, कल भी हम हमारी बात रखते उद्योग को लेकर। हम तो लम्बी–चौड़ी बात ना करके इतनी ही बात कर रहे है, ये सारी बाते जो है, झूठ का पुलिंदा जो आप लोगों ने तैयार करके और आप इनको दे भी दोगे ना तो कहीं ना कहीं इतने लोगों की बदुवाऐं भी नुकसान कर देगी। तनख्वाह तो आपको सरकार देगी, रिटायर्मेंट के बाद पेंशन भी देगी, लेकिन इतने लोगों की बद्दुवाऐं भी लेकर यहां से चले गये ना तो चैन से नहीं सोवोगे। आप राजकीय प्राधिकार के ऑफिसर है, हम सब की बातें आप नोट कर रहे है, और आज की जो जन सुनवाई है, इस जन सुनवाई को आप स्थगित करें एवं यह सर्वसम्मति से फैसला है, हम सब ये चाहते है, कि आज की जन सुनवाई को स्थगित करें आने वाले दिनों में नई तारीक देकर, सभी अखबारों में, लॉकल में भी इसकी सूचना देवें। आप अंबुजा सीमेंट में कटाई खेण–खेरवाड़ में नहीं बैठोगे क्या? तो फिर आप यह कह दो कि हम अंग्रेजों को बैचेंगे, हम तो आयेंगें ही नहीं फिर। खेण और खेरवाड़ का आदमी का कट्टा उपयोग करेगा, आपको उपभोक्ता बनायेगा, तब तो अच्छा है, वरना हम तो इंग्लिश वालों को ही देंगे, ये कहां का न्याय है। मेरा इतना ही आग्रह है, आप तीनों पदाधिकारी ऊपर बैठे है, इस आज की जन सुनवाई को, हमारे तमाम बिन्दु जो है, इन बिन्दुओं को पटल पर लेके, और आज की जन सुनवाई का अगली तारीख तक स्थगित करके नया दिशा–निर्देश के साथ, नई एक सूचना के साथ, इलाके के प्रत्येक व्यक्ति को सूचना हो, कि हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने देखा कि अभी 50 लोग रोज़गार कर रहे

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

(चम्पा[illegible] जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

है, 30 लोगों को और रोजगार देंगे, 80 लोगों को रोजगार देंगे। तो आप सिर्फ 30 लोगों को रोजगार देने के चक्कर में आप 3 लाख लोगों का स्वास्थ्य खराब करेंगे, और हमसे चाहते हो कि यहां इक्कट्ठी हो और कहें बढ़िया–बढ़िया आप लगाओ। हम तो इसके कतई पक्ष में नहीं है, मैं अपनी तरफ से जो आपको बातें नोट करवायी है, यें भी है एवं इसके अलावा भी और लोग भी बहुत सारें आये है, अपने–अपने जो भी पत्र आपको सौंपे, उन सब को आप, क्योंकि पिछली बार भी जब एक जन सुनवाई हुई थी, उसके अंदर भी प्रोसिडिंग थी नहीं, जो हम बोल रहे है एक–एक शब्द लिखे, यहीं तो हमारी ताकत है, कल तो थोड़ ही याद रख लेंगे कि हमने क्या बोला, मिडिया के बन्धु भी आये, मैं मिडिया बन्धु से भी विशेष निवेदन करूंगा कि यह हमारी आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे है, आज आप पूछों, हम झूठ बोल सकते है, और आपको क्या नौकरी लगने के बाद लगता भी है कि जनप्रतिनिधि तो लोगों को लच्छेदार बातें करके बावला बनाते है। आप अपना मोबाइल में एक्यूआई मूण्डवा लिखो, एवं पब्लिक को बताओ आप कि यहां की स्थिति क्या है। एयर क्वालिटी इनडेक्स एवं डब्ल्यूएचओ क्या कहता है मूण्डवा के बारें में। यह तो केवल एक प्लांट से यह स्थिति हो गई, यदि आपने और प्लांट लगाके और खदानें चालू कर दी, तो मुझे नहीं लगता कि यहां मानव सभ्यता बच पायेगी। या तो यह लिख दो कि सबको यहां से पलायन करना है। आप तीनों न्याय मूर्ति की भूमिका में बैठे है, आप केवल अंबुजा के पक्ष की बातें ना करें, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बचें, हमारी आने वाली पीढ़ी के फेंफड़े कैसे सुरक्षित रहें, आज की स्थिति देखिये, मूण्डवा के अन्दर एक दिन अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, सुबह जब उठते है तो पूरा कोयलें से गाडियां काली होती है, तो यहां लोग कैसे बच पायेंगे। तमाम बातों को ध्यान में रख कर ईमानदारी से, भगवान को ऊपर रखकर, फिर फैसला आपको करना है, आज कि जो पर्यावरण की मीटिंग रखी गई है, इसको आप स्थगित करों, नये सिरे से अखबार में सूचना देकर और सरकारी जमीन पर जन सुनवाई रखो। आप किसी संस्था की सुनवाई उसी की जगह रख रहे हो, इससे बड़ी विडम्बना की बात कोई हो ही नहीं सकती। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप आये है, तो निश्चित रूप से ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए, इसमें गांव वालों ने आपको लिख कर भी दिया है, जन सुनवाई पहले यहां हुई अरे! पहले तो अंग्रेज राज करते थे ना, अब मोदी जी कर रहे है, बुला लो अंग्रेजो को वापस, ऐसा थोड़ा चलेगा। एक बार किसी ने गलती कर दी तो क्या गलती करते रहेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुवे, आज की जन सुनवाई को स्थगित करके नई सूचना आप लोग जारी करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
[illegible]

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री आर.के. मेघवाल, निवासी जोधियासी ने कहा कि जन सुनवाई कॉमन जगह में होनी चाहिए, एवं पिछला पर्यावरण का पब्लिक ऑडिट आपने हमें केवल तीन माह अक्टूबर से दिसम्बर 2023 के डाटा दिये है। आपने ना तो अंबुजा सीमेंट प्लांट का एवं ना ही वर्तमान की माईनिंग का पब्लिक ऑडिट किया। एवं फैक्टी के अन्दर के वर्कर्स एवं माईन्स के अन्दर के वर्कर्स की सुरक्षा के लिए, जब युनियन कार्बाइट की घटना 3 दिसम्बर 1984 होने पर भारत सरकार नें नॉम्स लगाये थे, कि ऐसे प्रदूषित उद्योग उनको हाई कोर्ट में गारण्टी देनी पड़ेगी, अब जो आप कर रहे हो 20 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता से 45 लाख एवं 45 से 145 लाख टन कर रहे हो, एज ए पर्यावरण इंजिनियर मैं कह रहा हूं, 10 हजार करोड़ रूपये की गारण्टी हाईकोर्ट राजस्थान जमा करावों। एवं आपने बताया कि अंबुजा सीमेंट एक बड़े शहर से केवल डेढ़ किलोमीटर दूरी है, वो शहर कौन–सा है, वो शहर है खेण, इन्होंने मजाक बना दिया है। खेण को शहर बताया है, एवं ड़ेढ़ किलोमीटर की अंबुजा से दूरी बताई है, और मूण्डवा को भूल गये। इन्होनें मूण्डवा के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिखाया जबकि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं सीएचसी स्वास्थ्य केन्द्र है। इन्होंने सीएचसी का नाम नहीं लिखा। इन्होंने कोई आंकड़ें नहीं दिये कि आसपास खनन कितने पशु मरे है, कितनी गायें मरी है, और महिलाओं–पुरूषों के ऊपर पर्यावरण का कितना इफेक्ट पड़ा, नाड़ियों–तालाब में जो पानी कितना प्रदूषण हुआ। पर्यावरण की स्थिति में अभी का एक्यूआई एयर क्वालिटी इन्डेक्स 155 है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तो 40 से ऊपर नहीं एवं भारत सरकार के अनुसार 59 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो हवा हम इन्हेल करते है, पार्टिकुलेट मीटर 2.5, वो आज यहां 107 है, सीमेंट फैक्ट्री से बहुत दूर है, फिर भी 107 है, मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ आपकी वजह से है, ये पूरा ग्लोबल सिरोपीन है, सीमेंट फैक्ट्री का इस प्रदूषण के अन्दर 10 प्रेसेंट का योगदान है, हम अभी बिल्कुल सुनवाई के लिए आश्वस्त होना चाहेंगे, कि आप जब खनन करेंगे, तो वो कौनसे साइलेंसर, कौनसी ऐसी मशीन लगायेंगे, ताकि उसकी आवाज पास में जो खड़ा है, वहां तक नहीं जाये। प्लांट का जो धुंआ है, रिसर्च ये कहती है कि 15 किलोमीटर के दायरे के अन्दर कोई खेती 15 साल बाद नहीं बचेगी, उसका आपने क्या तोड़ किय है। उन किसानों को आप क्या देंगे? और जो छोटे बच्चों के अन्दर इसका इफेक्ट पड़ा है, जैसे क्रोफो निमोनिया, अस्थमा, एवं महिलाओं पर असर उसका आपने क्या किया? आपने कहां कि हमने पौधे लगाये, बड़े जोरदार पौधे लगे, आज सुबह से आपके पौधे चल रहे है, कोई साईकिल पर ले जा रहा है, कोई गाड़ी से ले जा रहा है। धोखा देने के लिए आपने लोगों को कैसे तैयार किये, कि वो सारे पौधे सुबह ले

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चयन / ...जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

गये। जबकि इसके चारों तरफ वृक्षारोपण होने की बात है, आपकी ऑरिजनल लीज डीड मे लिखा है कि हर खातेदार का एक बच्चा या एक घर से नौकरी देंगे। उस लीज डीड पर मेरे साइन है, मैं आज भी जन प्रतिनिधि हूं, लीज डीड के अन्दर अंबुजा के साथ एग्रीमेन्ट है, उसके अन्दर लिखा है कि खातेदारों का एक भी बच्चा आप लगायेंगे, फुली पढ़ाई भी करवायेंगे, और चारों का एन्वायरमेंट भी ठीक करेंगे। जो ट्यूवबेल जमीन के अन्दर का पानी, उस पर आपने क्या किया है, ये सारी जन सुनवाई स्थगित करने के लिए, क्योंकि हमारे पास हमें सूचना नहीं आई थी, इसलिए आसपास के लोग नहीं आ पाये, और इसलिए इसको स्थगित की जाये और सार्वजनिक जगह पर की जाये।

श्री शिम्भूराम निवासी खेरवाड़ ने कहा कि मैं वृद्ध व्यक्ति हूं ज्यादा मुझे याद नहीं रहता। खेरवाड़ गांव शमसान की भूमि को अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने अपने क्षेत्र में मिला ली, जिसको मुक्त करें।

श्रीमती कमला देवी, निवासी खेरवाड़ ने कहा कि कम्पनी ने हमारे साथ धोखा करके हमसे जमीनें ले ली, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, किसी–किसी को तो 8 लाख दिये, ये सारा भेदभाव क्यों किया गया? हमने बोला गया था कि आपके बच्चों को नौकरी लगायेंगे, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दी। तथा हमारे गांवों के लिए भी कम्पनी ने कुछ नहीं किया। हम सभी यहां धरने देकर बैठे है, टुकड़ा (रोटी, कपड़े) कम्पनी ने छीन लिये हैं, अब हम कहां जायें और क्या करें, हमारी कोई सुनवाई तक नहीं करते, ऐसे काम नहीं चलता, एक दूसरे के सहयोग से सरकार चलती है।

रामप्रसाद निवासी रोल, तह. जायल ने कहा कि इस प्लांट को लगाने से पूर्व इस क्षेत्र मे जितने भी नीलगाय (रोजड़ा), सियार, लोमड़ी थे, उनके पूनर्वास के लिए कम्पनी ने क्या किया? एवं इस प्लांट के लिए जो जमीन आपने ली उसके अन्दर जितने भी वृक्ष थे, उन वृक्षों में अनेको पक्षी थे, उनका आशियाना था, उनके लिए कम्पनी ने क्या किया? जब कोरोना काल आया तो गांवों के लोगों पर इसका प्रभाव कम पड़ा एवं इससे गांवों में मौतें भी बहुत कम हुई, तब राजस्थान एवं भारत के बड़े डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च में पाया कि यहां के लोग में, खेजड़ी का फल सांगरी, एवं केर की सब्जी का ज्यादा सेवन से इम्यूनिटी अधिक है। अतः जब प्लांट लगा तक यहां जो खेजड़ी एवं केर के वृक्ष थे, उनके स्थान पर कम्पनी ने पुनः कितने केर एवं खेजड़ी लगाये। सन् 1991 में हाईकोर्ट का फैसला था कि जिस किस्म को कटा जाये प्लांट लगाने से पूर्व उस किस्म का ग्रीन बेल्ट तैयार करना

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जरूरी है, तो कम्पनी ने ग्रीन बेल्ट में कितनी खेजड़ी लगाई, लोमड़ी, सियार एवं नीलगाय के लिए दूसरी जगह कितना आशियाना तैयार किया। पक्षियों के लिए कितने घोसलें एवं आशियानें बनाये, इन सब के पीने के पानी और भोजन के लिए क्या किया? इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी बताये।

श्री नाथूराम, निवासी डिडयाकलां ने कहा कि आप द्वारा कभी गांव में जाकर टूटें होद, घरों के टूटे हुवे झूंटा (गार्डर) आदि देखें है क्या? मैं गांव का जनप्रतिनिधि हूं, क्या आपने मुझे जन सुनवाई की जानकारी दी। केवल बिस्कूट खिलाने से जन सुनवाई नहीं होती। आपकी इच्छा हो तो करों हमें कोई तकलीफ नहीं है। एक भी टांका, होद सही सलामत नहीं है, एवं मकानों का गार्डर तथा पिल्लर टूटें पड़े है, उनके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हवा खाओ और मजा करों, हमारा जो होना है वो होगा।

श्री शिव चौधरी निवासी मूण्डवा ने कहा कि विस्फोटक की वजह से दो माह पूर्व कम से कम 50 घरों मे दरार आई, मैरे घर से कुछ घर पहले व मेरे घर होते हुवे, शिव मंदिर तक कम से कम 50 घरों को प्रभावित करती हूई दरारें आई। उस दरार में मेरा खुद का घर, जिसको तैयार करवाने में मुझे 7 लाख रूपये खर्च हुवे, मेरी पट्टियां टूट गई और पूरे घर में दिवारों में दरारें आ गई। इस विस्फोटक की वजह से 50 घर बर्बाद हो गये, कुछ घर गरीबों के थे, उनको पैसे लगाने में बहुत मुसीबते आई, गरीब परिवार जीन्दगी भर के लिए पैसे लगा कर आशियाना बनाता है, उसको पता नहीं होता है कि अंबुजा रूपी काल उसकी वजह से घर का सत्यानाश हो जाता है, अब वो कहां से पैसे जोड़ कर घर बनाये या दूसरे काम के लिए पैसे ले। अधिकारी महोदय आप सर्वे करवाये कि मूण्डवा में ऐसे कितने घर है, जो अंबुजा के खनन से प्रभावित हुवे है, तथा गरीब लोगों को मुआवजा दिलवाओ।

श्री राजेन्द्र डुकिया, पूर्व प्रेसिडेंट एवं आरएलपी नेता कुचेरा ने कहा कि आप द्वारा आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम की एक बात समझ नहीं आई, कि आपने पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के लिए यह रखी है अच्छी बात है आप यह ले रहे हो, लेकिन ये जो किसान पिछले 18 माह से धरने पर बैठे है, उनके लिए आपने कुछ किया क्या, 18 माह में आप कितनी बार इन लोगों से मिले हो, उनकी पीड़ा क्या है, वो सुनी आपने एक बार भी, अगर इस बात का आपके पास जवाब हो तो जवाब भी देवें। दूसरी बात रूपासर स्कूल को भी आप खदान के दायरें में लेकर उसको दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आप बोल रहे हो, जब वो अंगौर भूमि में दो बीघा जमीन अलॉटमेंट हो रखी है तो आप उसको हटा कैसे सकते हो। आपने रेलवे

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

स्टेशन का लिखा है, 0.2 किलोमीटर, जब आपसे एनएच का पूछते है तो 3.5 किलोमीटर कर देते हो तो रेलवे स्टेशन 0.2 किलोमीटर आपका कैसे आया। हमारे साथ के किसान का एक खसरा नम्बर है 1940/541, लिखमाराम का मकान बना है आपकी लीज के अन्दर, जिसका आपके विभागीक अधिकारियों ने 1940/543, जो इनके भाई है, उनके नाम दर्ज कर दिया। ना तो इनको पैसा मिला है, उल्टी लड़ाई इन्होंनें आपके घर में डाल दी, कम से कम ये काम तो मत करो भाई-भाई को तो आपस में मत लड़ाओं। आप कम्पनी से दाम लेकर आये हो तो काम तो अच्छी तरह से कर लो। और आप बात कर रहे हो पर्यावरण की तो, पर्यावरण के अन्दर तो हमारा कुचेरा भी यहां से 18-20 किलोमीटर दूर है, हमने तो आज तक काम में आपका अंबुजा का नाम भी नहीं सुना, ना ही बोर्ड लगा कही कार्य का। यहां से 15 किलोमीटर दूर है, खेड़ा, झुंझाला, जहां पर चाईना क्ले की खदाने हैं, आपकी यहां जो ब्लास्टिंग होती है, उसका असर सीधा उन लोगों के घरों तक जाता है, तो सोचो 15 किलोमीटर वाला इतना परेशान है, तो अभी मूण्डवा 50 हजार की आबादी है, ईनाणा 10 हजार की आबादी है, खेण 5 हजार की आबादी है, इतने बड़े-बड़े गांव हैं। और अभी किसान हमारे साथ में आये है, वो बोल डिडया में हमारे आज तक कुछ हुआ ही नहीं, और आपने इतना बड़ा बोर्ड दर्शा दिया कि डिडया में काम हुआ। एक यह जो 11 बीघा जमीन का मामला है, ये सीताराम जी के खेत का मामला है, उनकी पत्नी का नाम शारदा है, खसरा नम्बर 1798, इनकी 11 बीघा जमीन है, इसमें आपने 5 बीघा का तो पैसा दे दिया, जैसा भी कम दिया जा रहा है, दिया बैचारों ने ले लिया, लेकिन 6 बीघा तो आपने अपने नाम ऐसे ही करवा ली। ये कैसे हुआ ये तो बताओं आप? ये तो आपने ऑटो सिस्टम बना रखा है, ये इसलिए तो नहीं बनाया है, किसान का तो मत खाईये। और मुझे लगता है कि यहां जितने लोग बैठे है, 80 प्रेंसेंट लोग किसान के घर से आते है, और खेरवाड़ के अन्दर भी यहीं चल रहा है। अभी एमएलए साहब ने बोला था कि आपने जन सुनवाई की कोई जानकारी नहीं दी, इसमें भी हमने लिखित में दे दिया है, उसके ऊपर आपने क्या ली वो भी बता दो। बड़ी मीटिंग कराओ, सार्वजनिक जगह पर कराओ, सबकी बात सुनो, हम नहीं चाहते है आपके यहां बार-बार भाग कर आये, हमें लाडू खाने का ये पानी पीने का सोख नहीं है, हम तो घर से ही काम करके आ जाते है सारा। लेकिन जब आप जन सुनवाई नाम दे रखा है, 15 लोगों का नाम दिया उसमें 5 महिलाऐं ज्यादा आ गई इसमें आपको दिक्कत आ गई। ये पुलिस वालें कितने दिन आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आप पुलिस प्रशासन से काम चला लेंगे तो वो भी बता दो हम हमारे सिस्टम में आ

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जायेंगे, और जबरदस्ती कर लोगे तो समझ लेंगे अंग्रेजों का राज है। हम आपके खिलाफ नहीं है परन्तु जो किसान पीड़ित है, जो युवा परेशान है, आपने नौकरी की बात की थी, यहां इतने किसान बैठे है, उनमें से 10 आदमी खड़े करके बता दो कि हमने इनके घरों से एक–एक नौकरी पर लिया है, कुछ नहीं दिया। हम चाहते है कि हमारी जो बात रिकॉर्ड हो रही है, उसको आप ऊपर तक पहुंचाये और ऊपर पहुंचाने से पहले जमीनी स्तर तक इसकी जानकारी देवें। ये जरूरी नहीं कि हमने बोल दिया और वो सब सही हो गया, लेकिन हमने हकीकत बोली है। आप लोग नीचे काम करते हो, काम आपको करना है, ऊपर से आप कितनी भी जन सुनवाई करवा लो। मजबूर करोंगे, अभी तो रोड़ के पास शांतिपूर्वक तरीके कर रहे है, फिर हमारी लिमिट में आयेंगे, हमारी लिमिट क्रॉस हो जायेगी, फिर कैसे काम करोगे बताओं, अभी 5000 हेक्टेयर में आपसे काम पूरा नहीं हो रहा है, आप बात कर रहे हो 1.50 लाख हेक्टेयर की, कैसे करोगें ये, 1.50 लाख हेक्टेयर का आप माल निकालोगे, तो इसकी व्यवस्था कैसे होगी। हमारे लिए क्या कर रहे हो, हमारे फेंफडों के लिए क्या कर रहे हो, जो पशु–पक्षी है, इस क्षेत्र में उनके लिए क्या कर रहे हो, ये जो खेण तालाब आप बता रहे है आपके नक्शें में, मैनें ना तो आज देखा ना ही पहले, और ये गीतों में गाया जाता है कि पक्षियों का पानी पिलाते खेण तालाब से, 500 वर्ष पूराना तालाब है ये, कहां गया? उसको गायब ही कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। आपको यह भी पता नहीं करना क्या है। ड्रोन से जो सिस्टम आपने चलाया है ना, ये ड्रोन हवा में तो चल सकता है, लेकिन जमीन पर आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना है तो हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप ये चाहते हो प्रशासन से दादागिरि से काम चला लेंगे, हमें लिखित में दे देना, टाइम दे देना, और आप काम कर लेना हम मान लेंगे आपको, कि आप कम्पलिट कर्मचारियों का काम कर रहे है। हमारी पीड़ा भी सूनों, कौन सूनेगा हमारी, किसके पास जायेंगे। थाने मे जाये तो वहां नहीं सुनते, एडीएम साहब के पास जाओ, कलेक्टर साहब के पास, सीएम साहब के पास जाओ, तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहां हमारी सुनवाई होगी। ये बड़े–बड़े पोस्टर लगा दिये 3 बजे से जन सुनवाई है, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा, आप अपनी औपचारिकता पुरी कर रहे है, पानी पिला कर वापस निकाल दोगें, हमारा क्या होगा?

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि श्री कीर्तिवर्धन सिंह, राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार का पत्र एमपी साहब के पास 22 अप्रैल 2025 को आया– "कृपया आपके द्वारा दिनांक 28/03/2025 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाये गये विषय के संदर्भ

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

ग्रहण करें, जिसमें आपने राजस्थान की दो सीमेंट कंपनियों नामतः अंबुजा सीमेंट, जिला– नागौर और जेएसडब्ल्यू सीमेंट, सरसानी, जिला –नागौर द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी शर्तो की अनुपालना रिपोर्टों का भौतिक सत्यापन करने की मांग की थी। मामले की जांच उपरांत जयपुर स्थित मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय को अनुदेश दिया गया है कि वह उठाए गए मुद्दे के संबंध में यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि मंत्रालय द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सकें।'' तो एक तरफ तो सेन्ट्रल के मिनिस्टर तो यह कह रहे है कि भौतिक सत्यापन करके आप भेजो, कागज पक्का आपके पास भी आया होगा, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का मामला है, तो जब आपके पास आ गया और वह रहे है कि हम ऐसा कराये विश्लेषण, तो उससे पहले अपनी ये जो जन सुनवाई है इसको आप एक बार स्थगित करो, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को करने दो अपने हिसाब से, कि इन्होंने गलत क्या किया है, कहां गलत लिखा है, कहां क्या किया है? हमारे अधिकारी एडीओ साहब भी बैठे है, आपसे परिचय आज हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से तो हो गया आपका परिचय, आप आये हो तो कुछ करंट यहां भी निकाल दो, हम ये भी उम्मीद आपसे करेंगे आप नौजनवान हो, एडीएम साहब तो बुजुर्ग है, और लम्बा समय हो गया है तो मुझे पता है, ये अपने बच्चों के पास टिक्कें नहीं, हो सकता है, दूर प्रयास कर रहे है। आप तो युवा है, ऐसे मामले में ईमानदारी की बात है, जब मैं जनप्रतिनिधि बन गया, उसके बाद में अपने लोगों को भूल जाऊ, या जिस मिट्टी से या जिस मिट्टी में मेरी जगह दबी है, यदि उस मिट्टी को मैं भूल जाऊ तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। आप लोग बड़े अधिकारी बन गये, लेकिन गांव के गरीब परिवार से उठकर ही आप आये है, ऐसे मामलों में तो कम–से–कम संज्ञान लो, जब देश के मंत्री यह कह रहे है, कि हम भौतिक सत्यापन करके उसके बाद कार्यवाही करेंगे, तो आप एक बार उस लेटर का हवाला देकर इस पर्यावरण स्वीकृति को आप पोस्टपोन कर दो।

श्री मनीष मिर्धा निवासी कुचेरा ने कहा कि सबसे पहली बात, एडीएम साहब यहां कन्फर्म कर ले कि हम यहां प्लांट के एक्सटेंशन की बात कर रहे है या फिर माईनिंग लीज एवं प्लांट एक्सटेंशन दोनों की बात कर रहे है। सर्वप्रथम में अपनी एक आपति दर्ज कराना चाहूंगा कि इसको बहुत शॉर्ट नोटिस पर रखा, इसकी विज्ञप्तियां पहले छपवानी चाहिए थी और लोकल न्यूज पेपर में और लोकल लोगों को पता हो, यहां के गांव के लोगों के मेरे पास 2 दिन पहले फोन आये है, कि साहब ये कोई जन सुनवाई रखी है और आपको आना है यहां पर। तो आपको मैं बता दूं ये दो दिन पहले की बात है, इनको पता चला है ज्यादातर लोगों को, जो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

हमारे साथ आये है। फिर मैं बात कर लू यहां पर नेहरा जी थे, वो एक बार कम्प्यूटर चालू कर लो, या एक–दो स्लाइड दिखाओ, आपके ऐस्टीमेटेड जो थे, पर्यावरण के जो एक्यूआई और पीएम 2.5 आप रखने की बात कर रहे थे, वो मुझे धुंधला सा दिखा था, लेकिन वो कही आपने 60 और उसमें जो पैरामीटर्स बताये थे, वो लगभग उतने ही बताये थे आपने, ये देखिये पीएम 2.5 आपने 60 बताया, और पीएम 10 तो आपने 100 बता दिया, ये एस्टीमेटेड आप बता रहे है और एक्यूआई आपने यहां पर कहीं भी टोटल नहीं दिया है।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश कुमार नेहरा ने बताया कि सर ये मानक सीमा है, जो सी.पी.सी.बी. के गाइडलाईन है।

श्री मनीष मिर्धा निवासी कुचेरा ने कहा कि अभी तक डेढ़ घण्टा हुआ है जिसमें भी बैटरी बैठने लग गई माइक्स की। आपने एक्यूआई का डाटा कहीं नहीं दिया है, जबकि पीएम 2.5 का 60 दिया है। हम प्लांट एक्सपेंशन की बात कर रहे है, जिसमें आप कह रहे हो कि प्लांट में और चिमनियां भी बढ़ायेंगे और उसकी माईनिंग लीज भी बढ़ायेंगे। आज की तारीख में आप मुझे मुण्डवा का एक्यूआई और पीएम 2.5 बता दीजिये, सुबह का और अभी 4–5 बजे का, गूगल कर लो आप उसका लेटेस्ट हो तो। जो पीएम 2.5 अभी एस्टेमेटेड इनकी है उससे आगे चल रहे है उसके बावजूद यह कह रहे है कि हम एक्सपेंशन करेंगे, प्लांट का 5 गुणा कर देंगे, लीज का 10 गुणा, 15 गुणा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम पीएम 2.5 60 मेंटेन रख लेंगे, एक्यूआई मेंटेन रख लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो एक्यूआई जो आज मूण्डवा का है, या सदैव जो रहता है, आप कभी भी गुजर जावों यहां से, एडीएम साहब आप यहां से गुजरते ही होंगे, मतलब शीशा बंद नहीं हो तो दम घुटता है यहां पर, यहां चिमनी सी बन रखी है, अन्दर जो फेफड़ों में खन्ख उठती है यहां पर, मूण्डवा की इस रोड़ से निकलो तो यहां पर खन्ख उड़ती है, वो आपके गाड़ी के कांच बन्द नहीं हो, सबकुछ बन्द नहीं हो, तो आप इमेजिन करों यहां के लोग, यहां पर रहते है ये आसपास की आबादी देखों, ये रोज वो सांस ले रहे है, इनके फेंफड़ों के लिए कितना खतरनाक हो रहा है। अभी रिजल्ट बताया जिसमें यहां न्यूमोकोनियोसिस की प्रोब्लम बढ़ रही है, ये तो हो गया सबसे पहले पर्यावरण का। दूसरा पर्यावरण का नुकसान ये जो बता रहे है, इसमें कोई तरह की ब्लास्टिंग में, कोई साइलेंसर लगा देंगे या सैकेन्डरी ब्लास्टिंग में ध्यान रखेंगे, आप जो आज की तारीख में ब्लास्टिंग कर रहे हो, ये मैं खुद देख कर गया हूं, उसका सर्वे करके गया हूं, बकायदा उसकी रिपोर्ट है, चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी के ऑफिस से उसकी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

जांच आई हुई है। कि इस विद्यालय की जांच की जाये, और उस जांच में एडीएम साहब, एसडीएम साहब आप लोग भी थे। रूपासर की स्कूल जांच की गई, उसकी एक–एक छिण के बीच में दरार आई हुई है। वो पूरी की पूरी स्कूल कभी भी गिर सकती है 2 बजे सभी छात्रों को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि सवा दो बजे सायरन बजता है, उस स्कूल की संख्या सैंकड़ों में थी, आज 30 बच्चे रह गये है वहां पर सिर्फ इस ब्लास्टिंग की वजह से और वो ब्लास्टिंग स्कूल से केवल 700–650 मीटर की दूरी पर हो रही है, आज की तारीख में हम इसके एक्सटेंशन और प्लांट के एक्सपेंशन और माईनिंग लीज के एक्सपेंशन की बात ही नहीं कर रहे है, ये तो बाद में होगा जब होगा, इसकी तो स्वीकृति मिलेगी जब मिलेगी और मैं तो कह रहा हूं जो इनका रिकॉर्ड रहा है, मेरे हिसाब से तो इनकी अभी जो फैक्ट्री है, उसको बन्द करना चाहिए, ये कैसे चल रही है, फैक्ट्री। यहां पर तो आप देखिये पीएम 2.5 और एक्यूआई देख लिजिये। ये आज मेंटेन नहीं कर पा रहे है और यह कह रहे है 5 गुणा तो इस प्लांट को एक्सपेंड करेंगे और 15 गुणा माईनिंग लीज को एक्सपेंड करेंगे, मतलब आज ये इन्वायरमेंट को सस्टेंन नहीं करवा पा रहे है और फिर उसके बाद मे रूपासर स्कूल का निरीक्षण हुआ था, सारे अधिकारीगण आये थे, सबने यह देखा था, सबने यह जांचा था, मैंने वहां पर बकायदा विडियोग्राफी का एविडेंस दिया था। पूरी स्कूल के अन्दर जाकर के, प्रेमजी प्रिंसिपल साहब थे, उनका बकायदा विडियो करवाया था, कि ये रोज होता है कि नहीं होता, तो सरकारी अधिकारी भी इसका देख चुके है और सारे के सारे सरकारी अधिकारी उसका मुआयना भी कर चुके है, स्कूलों के ये हाल है। दूसरी बात वो जो स्कूल है वो अंगौर में है, उसको स्फिटिंग की बात कर रहे हो, स्फिटिंग की बात छोडियें मेरे को आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में उस स्कूल की रिपेयरिंग का काम करवा देंगे। वो रिपेयरिंग आज तक नहीं हुई और उसके बाद क्या, कभी ट्रांसफर कर देंगे, क्यों कर देंगे ट्रांसफर, किस लिए करोगे, बच्चों को किस लिए हटा देंगे वहां से, वहां पर आसपास की ढ़ाणियों के लिए वो जगह सक्षम रहती है, वो अंगौर की जगह है, वो गांव की जगह है, वो स्कूल के लिए अलॉट हुयी जगह है, उसको आप हटा दोगें, इनकी माईनिंग लीज को बढ़ने दोगे, ये 600 मीटर, 700 मीटर पर ब्लास्ट कर रहे है, बम फोड रहे है, इनको आप नहीं रोकोगे, और बच्चों को हटा दोंगे, वहां से, जो पढ़ रहे है। और दूसरी चीज आप आज की तारीख में भी देख लीजिए, ये जो एक्सपेंशन प्लान है इनका, ये कहीं पर भी सस्टेन नहीं कर पायेगा, जितनी पीपीटी इन्होंनें दिखाई है, जितनी स्लाइडस इन्होनें दिखाई है, सारी की सारी झूठी है, एक भी चीज को ये सस्टेंन नहीं कर पायेंगे, आप गांवों में जाकर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

हालत देखों। इनके घरों में दरारें पड़ी है, कही मकान ऐसे है, अब गिरेंगे, तब गिरें, ऐसे हालात में ये लोग रह रहे है। अभी तक इनकी फैक्ट्री के लिए जो जमीने ली गयी थी, इस प्रोजेक्ट के लिए भी जो जमीनें ली थी, जो लीजें करवाई थी इन्होंने, उसमें भी किसानों के साथ धोखा हुआ है। कभी इनकम टैक्स के नाम पर वसूल किया, कभी किसी चीज के नाम पर वसूल किया हुआ है, इनसे पैसे लिये हुवे है, इनको वापस रिफण्ड कभी नहीं मिला। इनको ये बता दिया गया कि आपका टैक्स भर दिया। अभी ये किसान हमारे साथ थे, वो कह रहे है, कि हमारी 81 बीघा जमीन हे, वो मेरे नाम बोलती ही नहीं, अब ये फसल बीमा मुआवजा भी लेना है तो वो जमीन तो रिकॉर्ड में इनके नाम नहीं है, फैक्ट्री वालों ने पता नहीं किसके साइन करवा लिये, किसके नाम करवा दी। तो अभी यहां पर करन्टली बहुत समस्याऐं है, मेरे हिसाब से हमें ये जन सुनवाई इस पर रखनी चाहिए कि आज की स्थिति में जो समस्याऐं है, उन पर जन सुनवाई करनी चाहिए। ना कि हमें अम्बुजा सीमेंट या ये अब अडाणी सीमेंट अब हो गई है, हमें इनको बढ़ाना नहीं है। हमें अपने लोगों की समस्या हल करवानी है, इनका फायदा करवा कर हमें क्या फायदा, यहां के लोगों को फायदा होना चाहिए, यहां के लोगों को मुआवजा दे। पीपीटी के माध्यम से जितनी भी जमीन बताई एयर डिस्टेंस बता रहे हो, जबकि जमीन जब आप नापने जावोगे, इस रोड़ से कितनी लगती है, उस रोड़ से कितनी लगती है, यहां से कितनी लगती है, वहां से कितनी लगती है, उस हिसाब से फिर मुआवजा करके बनाते हो, उसमें तो कभी ड्रोन उड़ा कर नहीं नापते, कि ये जमीन है यहां से इतनी दूरी है और ये इतना मुआवजा है। जब लेनी होती है तब तो सारी अड़चने ड़ाल देते हो, जब किसानों को मुआवजा देने की बात आती है, तो ये इतना सा एयर डिस्टेंश है, इसका इतना ही मिलता है। आप यहां पर देख लो कितने किसान है, ज्यादातर परेशान है, कहीं किसी को मुआवजा नहीं मिला, कहीं किसी के इनकम टैक्स के नाम पर इनका पैसा रख लिया, आगे दे नहीं रहे इनको, तो यहां कि अभी भी बहुत ज्यादा समस्या है, तो क्यों हम एक्सपेंशन की बात कर रहे है और आज की तारीख में ये मूण्डवा सिटी एक्सपेंशन हॉल्ड करने लायक है क्या? क्या मूण्डवा के आसपास ऐसा पर्यावरण है, कि इस प्लांट में पांच चिमनियां और लगा दोंगे तो माल कहां निकालोगे या तो यहां से लोगो को हटा दो, कि इंसान की आबादी यहां से खत्म ही कर दो। यहां एक शहर के पास में प्लांट लगा हुआ है जिसमें आज सांस लेना दुर्भर है और अपन इस प्लांट को एक्सपेंड करने की बात कर रहे है, मतलब ये तो एक तरह से दिमागी खिलवाड़ हो गया है, अपने को तो बस उद्योग बढ़ाना है उद्योग बढ़ाओ, कोई उद्योग के खिलाफ नहीं है, कोई व्यापार के खिलाफ

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

नहीं है, लेकिन लोगों पर उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी तो देखना चाहिए। मैं उस दिन स्कूल में गया था, वहां बाहर कुछ बच्चें खेल रहे थे, वो बार–बार खांस रहे थे, मुझे लगा कि इन्हें वो ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहां पर ब्लास्टिंग होती है और वही पर धूल–मिट्टी उड़ती है, तो बच्चों को खांसी होती है, बच्चों में ब्रोंकाइटिस होता है, उनके अजीब से एक कफ आता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आज की समस्याऐं इतनी ज्यादा है, कि हम जन सुनवाई सिर्फ इस पर कर ले कि आज के लोगों को क्या तकलीफ है, तो भी बहुत है। अपन एक्सपेंशन की बात ही क्यों कर रहे है और सबसे बड़ा मुद्दा है, कि सभी वक्ताओं ने पहले कहा कि आप इसको सरकारी जगह पर, इनकी प्राईवेट जगह की कोई जरूरत नहीं है, ये धरना स्थल है, आज लोग कहोगें तो हम तम्बू लगवा देंगे बड़ा सा वहां पर, वहां पर जनता के बीच में और दूसरी चीज की इसको पहले सूचना दी जाये, हम जैसे लोगों को भी 2–3 दिन पहले पता चला कि आप आ जाओ साहब यहां पर जन सुनवाई है। अरे! जन सुनवाई का मुद्दा क्या है, किस चीज पर कर रहे है। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि मेरे को यहां पर आने के बाद पता चला कि ये फैक्ट्री एक्सपेंशन और माईनिंग लीज के एक्सपेंशन पर, मैं तो यही सोच कर आया था कि ये जन सुनवाई होगी कि लोगों को अभी क्या तकलीफ हो रही है, यहां तो अभी की तकलीफें छोड़ों, अडाणी तो सोच रहे है कि प्लांट को पांच गुणा कैसे करें, 15 गुणा माईनिंग लीज कैसे करें। मतलब हम तो उनको इतना आगे फॉवर्ड जाने दे रहे है, अभी की समस्याओं पर तो हम बात ही नहीं कर रहे है। मुझे वास्तव में यही लगा था कि ये जन सुनवाई आज की समस्याओं के लिए होगी। आज भी जब इतनी समस्या है, तो फिर हम उसको पांच गुणा, 15 गुणा, 50 गुणा एक्सपेंशन कर देंगे तो आप सोचिये यहां के लोगों का जीवन क्या होगा, कितना बदहाल उनका जीवन हो जायेगा और यहां पर अभी भी इतनी समस्या है, कि ये जन सुनवाई तो अपन सुबह से लेकर रात तक कर सकते है। आप अभी एक्यूआई का एस्टीमेट बताओ या गूगल कर लो, कितना रखोगे, रख ही नहीं सकते पोशिबल ही नहीं है, आपके पास आज पॉशिबल नहीं है, आप ये एक्सपेंशन करने के बाद क्या कर लोगे, आप कर ही नहीं सकते। एक्यूआई अभी अपने मोबाइल पर देख लो, यहां मूण्डवा का चैक कर लो और एक मेरी मांग है, कि अभी आप जो एक्सपेंशन की बातें कर रहे है और ये जो पीएम 2.5 बता रहे है, अंबुजा सीमेंट या अडाणी सीमेट वाले जो भी है, मूण्डवा बाईपास मोड़ के पास आप एक बोर्ड लगाईये, जैसे जयपुर में, दिल्ली में हर चौराहे पर एक्यूआई, पीएम 2.5 बताता है, वैसे आप भी बोर्ड लगवाईयें, जिससे पता तो चले की आपने कर क्या रखा है और

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

उस बोर्ड को अगर कोई 15–20 दिन लगातार रिडिंग कर लेगा, तो अंबुजा उसकी जमीन सोने के भाव में भी खरीदता होगा तो भी वो नहीं बैचेगा। क्योंकि आदमी के फेंफड़ें होगे, सांसें होगी तब तो जमीन का मोल–भाव काम आयेगा। क्योंकि हालात इतनी ज्यादा खराब है कि सांस नहीं ले सकते हो। मैं तो बात कर रहा हूं इस रोड़ से गुजरने वाले की, तो यहां के लोगों की हालात देखों, बच्चों को ब्रोकाइटिस हो रहा है और ये आ गये कि मास्टर प्लान। मेरे हिसाब से एडीएम साहब आप अभी कर सकते है ये तो आदेश दीजिये कि यहां एक परमानेन्ट बोर्ड लगाया जाये यहां पर, जिसमें एक्यूआई और पीएम 2.5 की रोज रीडिंग चलती रहे यहां पर, ताकि आप और हमें ये अंदाजा हो कि किस समय यहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, अभी तो कोई ऑथोरिटी नहीं है, अभी तो केवल हवा में बातें हो रही है, हमें ये 60 रख लेंगे, हम इसको 100 के नीचे रख लेंगे। अरे! कहां से रख लोगे ये आज जाकर देख लो, आज नहीं होगी आपके पास 60। आप बात कर रहे हो 15 गुणा कर लेंगे, 5 गुणा कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में इस जन सुनवाई को आप आगे करते है तो आगे हम भी बढ़िया तैयारी से आपको और बतायेंगे और आज की स्थिति में एक्यूआई और पीएम 2.5 पर स्थिति है, अगर आप सुनवाई 20 दिन या एक महीना आगे करते है तो मेरे हिसाब से कल के कल इनको बोल कर बोर्ड लगवाये। यहां पर एक महीने की रीडिंग ले लेंगे, और उसके बाद अपन जन सुनवाई करेंगे, आपको लगेगा कि इन्होंने पर्यावरण के सारे मापदण्ड पूरे किये हुवे है, तब तो आगे बात करेंगे, जब ये एक्यूआई और पीएम 2.5 यहीं पर फैल हो जायेंगे, फिर कौनसी एन्वायरमेंट और कौनसी एन्वायरमेंटल क्लियरेंस, फिर तो अपन सिर्फ इतना मुद्दा रखेंगे कि यहां के जो लोकल लोगों की समस्याऐं है, सिर्फ उन लोगों की समस्याओं को अपन सुनते है, उनका निदान करवाते है, एक्सपेंशन की बात अभी बाद की बात है। बाद में भूल जाते है, पहले काम सिर्फ इतना करें कि यहां के लोगों की अभी जो समस्या है, उनको हम सॉल्व करवा सकते है, एडीएम साहब इतना तो आप कर ही दो कि इनसे कहों कि बोर्ड लगा दो, जिसमें पॉल्यूशन रिकॉर्ड होता रहे, ताकि आगे जब भी हम जन सुनवाई करें अपने पास एक महीने की यहां के बोर्ड वाली रिपोर्ट हो, उसके बाद में हम एक्सपेंशन की बात करें। तो ठीक रहेगा।

श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि ने बताया कि सीपीसीबी के नॉम्स के अनुसार हमारे प्लांट के ऊपर 24X7 लाइव डाटा हर स्टैक का डिस्प्ले बोर्ड पर चलता रहता है, वो पांच साल पहले ही कम्पलसरी कर दिया गया है तो हमारे

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पा... जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

कम्पनी में भी लगा हुआ है। प्लांट के अन्दर ही नहीं बाहर से भी दिखेगा, हाईट पर लगा है, अगर उसमें और बड़ा चाहिए तो और बड़ा लगा देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि सर आप जहां कहेंगे उसको वहां शिफ्ट करवा देंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि ये बोर्ड वाली बात को लेकर आज दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए, तो आरओ साहब से बात कि तो आरओ साहब ने भी कहा कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए। तब इस प्लांट जो पॉल्यूशन का काम देखते है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लगा हुआ है, तब हमारी बात हुई कि आज वापस चलते समय हम ये बोर्ड चैक करेंगे। आप भी उसको देख सकते है। और अभी जब उसको चोराहे पर लगाने की एवं बड़ा करने की जब बात आई है, वो बहुत अच्छा है, उससे क्या होता है कि लाइव मॉनिटरिंग होती है, जैसे नदी में एक खतरे का निशान लगाते है, खतरे के निशान से ऊपर आता है तो पता चलता है, अगर इंसान उधर से गुजरे तो वो खुद देख सकता है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि एडीएम साहब अभी मंगवा लो, आप लाइव लोकेशन की बात कर रहे हो, ईमानदारी से आप एक बार पता कर लो जानकारी के लिए, अभी चैक करवा लो। अगर ज्यादा आये तो आप क्या करोगे आप बताओ। अभी आप बात कर रहे हो ना नदी खतरे के निशान से ऊपर आ गई तो, आप बताओं क्या करोंगे। आरओ साहब आप बताओ ये एडीएम साहब का नहीं ये ज्यूडिशन आपका है, यदि एक्यूआई आपके डब्ल्यूएचओ के मापदण्ड से ज्यादा आ गई तो आप क्या करोगे।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि जब 2023 में इस प्लांट के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो हमने क्लोजर डायरेक्शन जारी किये, और उस प्लांट को 2 महीने बंद भी रखवाया था और उसमें सुधार भी करवाया था।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि बंद तो इन्होंने दो दिन कर रखी होगी, ये गांव वाले क्या कह रहे है, आप सुनो तो सही इनकी बात। यह कह रहे है कि दो दिन बंद की ताकि वो पैरामीटर आये, कम–से–कम इन चीजों का तो आप ध्यान रखा करो। आप जिस तरह छोटे–छोटे है ना जो पत्थर निकालने वाले है, इनका पैशा ट्रॉली और ट्रेक्टर का, गरीबों का, कभी तो आप बड़ा हृदय, 56 इंच का सीना रखो आप, कभी अखबार में सुनते है, आप प्रयास तो करों बड़े लोगो से

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

लड़कर दिखाओ, ताकि हमें भी लगे की वास्तव में सही बात है, आप गरीब का अहित कर सकते हो, अपनी कलम से, तो कानून के हाथ इतने कमजोर हो गये क्या कि बड़े व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते, आप ये पता करों अभी एक्यूआई क्या है, अगर वो ज्यादा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, बताओं हमें, वरना जन सुनवाई किस बात की है। चलो फोटो मंगवा लो, आज कल तो सारा कुछ ऑनलाइन है, ये तो हमेशा ही देखा करों ना आप, आम आदमी को तो अंबुजा में कौन घुसने देगा, आज तो आपकी गर्ज तो आपने टेंट लगाये है, आ जाओ, आ जाओ कर रहे हो, कल वो गेट बंद रहता है, किसी को कौन घुसने देगा यहां। लोग उद्योग के सामने जाकर कहते पर्यावरण है, कि आपतियां दर्ज नहीं, अगर इस तरह का कम्यूनिकेशन है तो सुनकर दर्द होता है ना बड़ा। आप जो अधिकारी बैठे है, खूब जगह पोस्टिंग रही आपकी, किसी शहर के अन्दर आपने सीमेंट प्लांट देखा हो तो बता दो मुझे, मूण्डवा के अलावा पूरे देश में किसी शहर मे कोई सीमेंट प्लांट हो तो बताओ। दिन को तो रात मत करों, चलो 19–20 तो चल जाता है, बिल्कुल भी ऐसे तो मत करो।

श्री सीताराम, पूर्व चैयरमैन मूण्डवा ने कहा कि आपने पर्यावरण और एक्सटेंशन की बातें तो सबसे सुन ही ली। हमारी अंबुजा से कोई लड़ाई या नाराजगी नहीं है, लेकिन अंबुजा का जो ये प्लांट लगा हुआ है, यह नियम के विरूद्व दिन को रात करके लगाया गया है। इसलिए ये पूरा प्लांट ही अवैध है। नियम, कायदें, कानून से अगर आप जांच करते हो तो ये प्लांट आपको पूर्ण रूप से अवैध मिलेगा। ये प्लांट केवल और केवल दिन को रात करके भ्रष्टाचार के बल पर लगाया है। मूण्डवा के अन्दर जो भी एनओसी ली गई है, वो सब फर्जी दस्तखत, साईन से ली गई है। 2007 में, 2017 में ली गई है, सभी फर्जी हस्ताक्षरों से ली गई है और आसपास की जो भी खनिज विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, इनकी अगर आप पुरानी जांच करोगे, इनकी पुरानी रिपोर्ट आप देखेंगे, तो सभी यहां प्लांट लगाने के विरोध में मिलेगी, लेकिन बाद में इन्होंने फर्जी हस्ताक्षरों से करीब–करीब सभी एनओसी को अपने फेवर में लिया है और इसकी जांच करने के लिए आपको सीधा सा बताता हूं, इनके पास में ही लगी हूई हरमन सीमेंट फैक्ट्री, उस समय 1990 से 2000 तक मैं चैयरमैन था, जब वह सीमेंट फैक्ट्री लग रही थी, तब उनके मालिक से मुझसे कहा था कि आप एनओसी दे दो, कि ये नगरपालिका सीमा से बाहर है, लेकिन वह फैक्ट्री नगरपालिका की सीमा के अन्दर थी तो मैंने नहीं दी। फिर उन्होंने मुझे कुछ देन–लेन की बात की परन्तु मैंने उन्हें मना कर दिया। जब ज्ञान तालाब तक सीमा है, तो सीमा के बाहर में प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा था, कि अगर आप

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

एनओसी नहीं दोगे तो काम तो हमारा नहीं रूकेगा, काम तो हो जायेगा। फिर उन्होंने मेरे नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके और वो आरएफसी के अन्दर वो प्रमाण पत्र लगा दिया, कि यह सीमा के बाहर है और उन्होंने एक करोड़ की सब्सिडी उठा ली। मुझे पता तक नहीं था कि मेरे हस्ताक्षर करके एक करोड़ की सब्सिडी उठा ली और काम चल रहा था। फिर हमारे कैमिकल वाले महेन्द्र सिंह जी, मूण्डवा के पास ही मैसर्स गो.एम.जी. टेक सीमेंन्ट फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे पास आये, मुझसे नगर पालिका की सीमा के बाहर का प्रमाण पत्र मांगा, जो आपने हरमन सीमेंट फैक्ट्री को दिया है, तब मैंने उनसे कहा कि मैनें तो ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तब उन्होंने बताया कि मैं आरएफसी में देख कर आया हूं ऐसा प्रमाण पत्र लगा हुआ है, मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र दिया नहीं है। जिसके पश्चात महेन्द्र सिंह ने शिकायत की, फिर उसकी जांच हुई, जांच के अन्दर हस्ताक्षर फर्जी पाये गये, डीएनएफ हरीश जी मीणा थे और उनके मिलने वाले थे कोई और उन सब ने फर्जी को भी सही करने की कोशिश की, अगर वो राइट होता तो मैं जेल में जाता और रूपये खा लिये इन लोगों ने, लेकिन वहां जो जगदीश सिंह आरएफसी डिपार्टमेंन्ट के, उनको मैंनें गलत के बारें में बताया, फिर वो फर्जी हस्ताक्षर साबित हो गये। अभी नागौर के अन्दर मुकदमा नम्बर 9/97 आप उसकी जांच कर सकते हो एवं अभी देख सकते हो कि पेडिंग के अन्दर 3 अधिकारी एवं एक इसका मैनेजर मुजरिम है एवं दूसरे लोग 120 बी के अन्दर मुजरिम बने हुवे है। कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में जाकर बच रहे है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा होता तो आज तक जेल से बाहर ही नहीं आता, तो इसी प्रकार से इसी हरमन सीमेंट फैक्ट्री के फर्जीवाड़े के तर्ज पर ही ये अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल फर्जीवाड़े से लगी हुई है। अतः मेरा निवेदन है कि एक्सपेंशन को छोड़कर पहले इसकी जांच की जाये, जो भी एनओसी ली गई है, शुरूआत से ही इसका जो निर्माण हुआ है, वो बिल्कुल ही अवैध है। दूसरे छोटे–मोटे अवैध निर्माण होते है तो ये कैसे हटाते है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के बल पर हुआ है और हमारे भी जो किसान नेता बने हुवे थे, उन्होंने मिलकर के ये भ्रष्टाचार करके ऐसा काम करवाया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले इसकी जांच की जाये जिससे साबित हो जायेगा कि ये अवैध है, अतः इसको अभी के अभी बंद करवाना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं हो तब तक इसको बंद रखना चाहिए। ये अपनी मनमर्जी से कर रहे है, ये जो भी रिपोर्ट बनानी है आप बना लोगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब तक इनकी एनओसीयों की प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो, कि फर्जी आधार पर एनओसी ली गई है, तब तक इसको बन्द रखना चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री अर्जुनराम जाट, निवासी मूण्डवा ने कहा कि हम इस जन सुनवाई का पूर्ण रूप से विरोध करते है, यह जन सुनवाई पुनः लाखोलाव तालाब पर रखी जाये, ताकि आमजन गांव का हर आदमी वहां पहुंच सके, यहां ऐसा माहौल फैला कर रखा है कि लोग यहां आना ही नहीं चाहते, और मुझे आज भी महसूस हो रहा है कि इस्ट इण्डिया कम्पनी के सैनिक अभी यहां से गये नहीं। एक बात तो कि बोलने वाले को इतना दबाया जाता है, कि बोलना नहीं है। हम अपने हक की बात रखने के लिए बोलते है, हम अपने डम्पर लगवाने या ठेका लेने नहीं आये है। हमें हमारा गांव का स्वच्छ वातावरण चाहिए, एक और कुछ नहीं चाहिए और ना ही हमें अंबुजा से कोई उम्मीद हैं। मेरी यह भी मांग है कि अंबुजा सीमेंट का जो कनवेयर बेल्ट लगा है, उसमें दो–दो किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है, तो इसका आप वापस विचार करें और इसका पुनः निर्माण करवाये कि आमजन इससे परेशान ना हो एवं इसमें जो खेती के दो टूकड़े किये गये है, इस कोने से लेकर उस कोने तक, जिससे खेतों में किसानों को नुकसान हुआ है, नियम से 50 गुणा उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक खेत के दो टूकड़ें हुवे तो उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, ना उनके वहां पूल बने हुवे है। हम तो बंद ही करवाना चाहते है ना, हम तो पूर्ण विरोध कर रहे है, हम तो कह रहे है कि इसको बंद करो और हम ठेका लेने की भी इनसे रिक्वेस्ट कर दी कि पतरें (चदर) उतारे का ठेका हमें दें, हम उतार देंगे एवं गायों के हॉल पर चढ़ा देंगे, हम नहीं चाहते कि ये यहां चले और ना ही हमें यहां काम करना है, अभी तक तो जिन्दा है। हम वही लोग है, जिन्हें अंबुजा से कुछ नहीं चाहिए, तभी तो हम परेशान है, तभी तो हमें दबाया जा रहा है और एक हमारी और मांग है कि जब यह पेड़ों की बात करते है तो अपने एसडीएम ऑफिस के पास अंबुजा ने पेड़ लगाये थे, तो आपसे निवेदन है कि वहां जाकर देखो 2–2 साल के पेड़ है वो, और मेरे घर पर ड़ेढ़ साल के पेड़ है आप दोनों का आंकलन करना, ये सिर्फ नाम मात्र के पेड़ लगाते है, अखबारों में छापते है, और पेड़ प्यास से मरते–मरते जल जाते है, ये भी पता कर लेना। अंबुजा के प्रदूषण के कारण हमारा मूण्डवा गांव खाली है, मूण्डवा में इतना प्रदूषण है कि यहां बारिश होनी भी बंद हो गयी है, तो आप ही सोच लो बारिश होना भी बंद हो गयी है, तो आमजन को सांस लेने में कितनी तकलीफ होगी एवं कम्पनी को आज तक जो जमीन आंवटित की गई है, उसका पुनः आंकलन किया जाये। ये जमीन पूर्ण रूप से गलत आंकलन किसानों से हड़प कर दी गई है और जो किसान शांतिपूर्वक इस धरने पर बैठे है, उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा और यह जन सुनवाई लगा कर आप यह साबित करना चाहते हो कि किसानों आपकी कोई बात

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

नहीं सुनी जायेगी, बात केवल फैक्ट्री की सूनी जायेगी। अंबुजा फैक्ट्री जो गांव से सटी हुई है, उसमें साइरन इतना जोर से बजता है कि आमजन को, मौहल्ले में, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ये साइरन हम मूण्डवा वालों को सुनाने की कहां आवश्यकता होती है, आप साइरन बन्द करें और इस फैक्ट्री से रात को इतना धुंआ जाता है, कि रात में वहां कुछ दिखता भी नहीं है, तो इन सब का ईलाज करें और एक यह भी की आप गांवों में गली–गली ऐसे अधिकारियों के नम्बर लगाओ, जिसमें प्रदूषण अधिकारी, एवं जहां–जहां इनकी शिकायत हम पहुंचा सके उन अधिकारी के गली–गली में लिख दीजिये। हमें पता ही नहीं है, हम किसी को फोन करते है, हमारे फोन का जवाब नहीं मिलता, अधिकारी कभी संतुष्ट नहीं करते और मैं पुनः यह कहता हूं कि इस जन सुनवाई के लिए पुनः विचार करके लोकल अखबारों में दिलवा कर, आमजन को सूचित करके वापस सुना जाये और कल जो आप भाड़े पर आदमी लाये थे, उनका आंकलन करवा लो, आपके 95 नहीं 99 प्रतिशत आपके वो लोग फर्जी थे।

श्री जीवराज निवासी मूण्डवा ने कहा कि जैसे कि यह बता रहे है कि इसका और आगे विस्तार करना है तो अभी जो प्रदूषण हो रहा है, परिवहन में रोज जो एक्सीडेंट हो रहे है, आम जनता को परेशानी हो रही है, उससे 10 गुणा या 20 गुणा और ज्यादा हो जायेगा, इसलिए इसको पूर्णरूप से बंद किया जाये, हमारी तो यही राय है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने आरओ महोदय से कहा कि मीणा जी आपने एक्यूआई और पीएम2.5 ऑनलाइन मंगवाई? अब आप ही बताओ ये कितनी बड़ी बात है। ये तो बहुत ही शर्म की बात हो गयी, इसका मतलब आप लोगों की कलम कमजोर हो गई। आपसे एक वाट्सअप नहीं आ रहा है। अरे प्रेमजी आप हमें बोल रहे थे, थोड़ा कुछ इनसे तो मंगवा दो, आप मौके के मजिस्ट्रेट है, थोड़ा बहुत जोर से बोला करो ना, आप क्यों घबरा रहे हो। आप आंखे लाल करो, किसान के बेटे हो, इनके नौकर थोड़े हो। इनको कहो कि वो फटाफट भेजे एक बार, वाट्सअप मंगवाये। आंखे थोड़ी लाल रखा करो, इन सफेद आंखों से कुछ नहीं होने वाला। रिश्ते नहीं होते सफेद आंखों से, लड़की नहीं देते।

श्री शैतानराम ईनाणियां, पूर्व अध्यापक रूपासर ने कहा कि आप पर्यावरण के लिए एनओसी की बात कर रहे है, पहले आप यहां पर्यावरण सुधारों और फिर आप एनओसी की बात करों, इस मीटिंग को रद्द किया जाये, आगे तारीख देकर उसकी बात करो। मैं एडीएम साहब से निवेदन करता हूं, कि इसको कैंसल करके हमें आगे

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

तारीख दी जाये, लोकल अखबारों में छपवाया जाये। हम लोग यहां धरने पर बैठे है और छोटे से अखबार से आया था जो किसी ने हमें भेजा 4 दिन पहले। तब हमनें एडीएम साहब, एसडीएम साहब एवं माननीय प्रदूषण विभाग को, हमने कहा कि जन सुनवाई सार्वजनिक जगह पर होनी चाहिए तो यह निजी जगह क्यों हो रही है, तब इसका क्या अर्थ है, सभी गांव वालों ने लिख कर दिया है, सबकी सहमति से दिया फिर उसकी सुनवाई नहीं है तो फिर ये पर्यावरण के लिए किस बात की जन सुनवाई कर रहे हो। आप यही चाहते है क्या कि ये थोड़ी देर बक कर अपने आप चले जायेंगे। चेतन जी रावल कर्मचारियों को मैनेज करते है, तो कर्मचारी सब मैनेज में होते है, कुछ मैनेज से दब सकते है, कुछ ऊपर से सरकार के दबाव से सांस ले सकते है, सब मैनेज नहीं हो सकते। कल आपने कहा आपका काम कर दूंगा, मेरा क्या काम है, मेरा कोई काम नहीं है, जनता का काम करो, पहले प्रदूषण हटाओ, ये धमाके और धूल डस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने मूण्डवा की गली–गली के अन्दर घूमकर लोगों से पूछा कि तुम्हारी हालत क्या है, तुम कैसे जी रहे हो और सोते समय और उठते समय तुम्हारी क्या हालात है, तो लोगों ने, बहनों ने, माताओं ने, और सबने कहा कि जब उठते है तो हमारे मुंह काले हो जाते है, छत पर सो नहीं सकते, यह सच्चाई है, पहले आप सर्वे करवायें यह जन सुनवाई करवाना बाद में, इसको कैंसल करों और पहले सर्वे करवायें। जो हमने नाड़ी तालाब बताये, जो एमएलए साहब के पास पड़े है, इनका सर्वे करवावो कि वास्तव में हमने दिया है या आपने दिया है, प्रदूषण विभाग इसकी जांच करें और वो जांच कब करेंगे वो हमें बताओ कि हम इस तारीख तक इसकी जांच करवायेंगे, यहां कितने नाड़ी तालाब है, यहां कितनी गाये है, या कितने मोर है। आप कहते हो कि वन्यजीव कोई है ही नहीं, ये पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी है, कि आप इसकी जांच कब करवायेगें ये आप हमें आज ही बता दो। ये जो हमने लिख कर आपको दिया है एवं जो आप बता रहे हो, इसमें हम झूठें है या आप झूठें हो। अगर यहां वन्यजीव है ही नहीं, यहां पर पशु–पक्षी है ही नहीं, यहां खेजड़ी के वृक्ष है ही नहीं। हमनें रीको से एक लिस्ट मांगी थी कि यहां खेजड़ी के वृक्ष कितने है, तो यहां एक सर्वे हुआ था, तो हमें वो लिस्ट क्यों नहीं दे रहे है, यहां मेहराम ईनाणियां दादूपंथी, इस भाई को यहां पास में पीठ दिया गया, हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसको ठण्डे बस्तें में डाल दिया। यहां एक कार हमें कुचल देती, हमने उसका पिछा किया, वो सीधी गेट में चली गई, उसकी भी हमने रिपोर्ट दी, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, तो यह सब मैनेज करने वाली बात हुई ना। एक थानेदार जी से हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पुलिस लाईन

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

में पड़ा था, बड़ी मुश्किल से थाने में आया हुं, और मुझे 2 रूपये कमाने दो। तो आप लोग बताये हम क्या करें। अतः पहले आप ये मीटिंग कैंसल करे, फिर हमें तारीख दें, एवं लोकल अखबारों में सूचना निकाले, एवं उसके बाद सार्वजनिक स्थल पर जन सुनवाई होनी चाहिए, उससे पहले इसे निरस्त ही माना जाये। आज 3 बजे की हमें सूचना है, कल से आप लोगों को भाड़े पर ला लाकर हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमारे ऐसा कर दिया, हमें ब्यूटीपार्लर करवा दी, अब यह मशीन दे दी सिलाई की, जब 2016 में नौकरी का वादा किया था, आपने रूपासर स्कूल के अन्दर शिविर लगा दिया, प्रत्येक घर से कागज लिये, फिर नौकरी क्यों नहीं दी, हमें बताइये। एडीएम साहब आप बात को नोट करें एवं हमें बताऐं, कि प्रत्येक घर से कागज क्यों मंगवाये गये थे, और जब कागज मंगवाये तो नौकरी क्यों नहीं दी। जब 2016 से बच्चों ने सोचा कि हमारी नौकरी पक्की होगी, उन्होने पढ़ना बन्द कर दिया। तो उनकी जिन्दगी खराब हो गई, उनका मुआवजा दो। पुनर्वास के लिए रीको और सरकार के बीच में डील हुआ था, तो पुनर्वास क्यों नहीं दे रहे है। हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे है, और मीटिंग पर मीटिंग होती है, लेकिन कहा जाता है, इस बार ऐसा कर देंगे, इतने साल तक हमें घुमाया। फिर हमने लिखित में देना शुरू किया कि हमें लिख कर दो कि कब करोगे, तो इन्होंने लिख कर दे दिया कि 15 दिन में समाधान कर देंगे। जब 15 दिन हुवे तो फिर मीटिंग हुई तो कहा कि 2 महीने में हम समाधान कर देंगे, एडीएम साहब को बीच में लेंगे, तो आप एडीएम साहब को बीच में क्यों ले रहे हो, प्रशासन को बीच में क्यों ले रहे हो, जब जमीने ली उस समय प्रशासन को बीच में क्यों नहीं लिया? आज प्रशासन को बीच में क्यों ले रहे हो, और प्रशासन बीच में आता ही क्यों है। अतः इस पर्यावरण की मीटिंग को निरस्त किया जाये, आगे की तारीख दी जाये, लोकल अखबारों में सूचना दी जाये एवं उसके बाद जन सुनवाई की जाये।

श्री मनीष मिर्धा निवासी कुचेरा ने कहा कि एडीएम साहब ये सभी जन सुनवाई के लिए पब्लिक पैलेस के लिए इसलिए कह रहे है कि ऐसी व्यवस्था जब होती है, तब ऐसे बहुत से लोग है, गांवों के, गरीब लोग है जो, कई बार सामने नहीं आ पाते, क्योंकि पूरा प्रशासन होता है, माहौल ऐसा होता है कि कही लोग आ नहीं पाते। अभी भी किसी के हाथ में वहां पर आप माईक दे दोगे तो कई लोग ऐसे है जो अपनी बात बोल नहीं पायेंगे वहां पर, हर किसी में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं होते, तो बाहर उनकी जगह होगी, खुली जगह होगी तो वो अपनी बात भी रख पायेगे और कहीं लोग तो ऐसे होते है जो संकोच के कारण भी नहीं आते, कहीं लोगों को ये प्रशासन, इतना मजमा आया हुआ और पुलिस लगी हुई, ये तम्बू लगे

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

है, इन सब से भी खौफ होता है, कई लोग नहीं आ पाते, इसलिए आपको बार–बार कह रहे है कि अगली बार जब भी हम मीटिंग करें, जन सुनवाई करे इस बात पर, तो ऐसी जगह करें जहां पर हर कोई आकर अपनी बात कह सके। जन सुनवाई का मतलब तो यही है कि आम से आम आदमी भी आकर अपनी बात कहें। तो यहां पर वो माहौल ऐसा नहीं बन रहा है, क्योंकि जब हम आये तब भी कहा कि नाम लिख कर दे दो, 15 जने आ जावो, चार औरतें एक्स्ट्रा क्यों आ गई। ऐसे माहौल में सफलता पूर्वक बातचीत नहीं हो सकती और वैसे भी आज तो मुद्दे भी पूरे नहीं है, क्योंकि ये तो कब छपा और कब आया, तीन दिन पहले पता चला और आज पता चला कि एक्सपेंशन के लिए कर रहे है। अतः इसको अभी समय देना चाहिए। अभी तक तो हमने एक्यूआई रिपोर्ट आदि हमने मांगी थी, अभी तक तो वो भी नहीं आई, वाट्सअप आया कि नहीं आया? ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग बोर्ड तो इनके मोबाइल में भी साफ नहीं दिख रहा है, तो फिर रोड़ से कैसे दिखेगा, आज कम से कम इसको तो बड़ा करवा दो। सार्वजनिक जगह पर चौराहे पर लगाये ताकि आप लोग भी देखते रहे। अब यहां पर इतने लोग आये है तो ये लोग भी ध्यान देंगे। एडीएम साहब इनका कहना है कि अगर इनको नोटिस जायेगा तो ये नया बोर्ड मूण्डवा चौराहे पर लगवा देंगे। इसका नोटिफिकेशन तो आप अभी कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि आपने लिख कर दिया है, हम इसको नोट करेंगे, इसके लिए ऊपर से ऑर्डर आयेगा तो हम करवा देंगे।

श्री ओमप्रकाश ईनाणियां, पूर्व सरपंच ईनाणा ने कहा कि मैं केवल सत्य एवं होने वाली बात ही कह पाऊंगा। गेन्द तालाब से लेकर मूण्डवा तक प्रदूषण तो बहुत है, लेकिन उस प्रदूषण को कन्ट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। एक तो यहां जितनी भी परिवहन की गाड़ियां है, उनसे धूल उड़ती रहती है, आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और उससे दूर्घटना भी हो रही है। अतः अंबुजा के अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि यहां जो धूल के गुब्बारें उड़ रहें है, मूण्डवा से लेकर गेन्द तालाब तक वो बिल्कुल बन्द होने चाहिए। आपने 15 साल में कितने पेड़ लगाये, और कितने पेड़ जिन्दा है। पेड़ तो साल में करीबन 10 हजार, 15 हजार तक लगाते है, लेकिन उनमें से कितने पेड़ जिन्दा है। दूसरी बात जो प्लांट लगाया है, वो हटने वाला है नहीं, जो माईनिंग होगी वो हटने वाली है नहीं, लेकिन मेरा एडीएम साहब आपसे यही निवेदन है कि जो किसान 17 महीनों से धरने पर बैठे है, उनकी ढ़ाणियों का मुआवजा, उनके टीपीओ के पैसे, और उनके खेतों की उचित रेट नहीं मिली, उनका निस्तारण विशेष ध्यान से किया जाये,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्योंकि ये 17 महीनों से यहां बैठे है, माताऐं–बहनें सभी यहां बैठी है और मुख्य बात प्रदूषण के साथ–साथ यहीं है, किसान बार–बार आपसे और कलेक्टर साहब से मिल रहे है। तो किसानों को उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जितनी त्वरित गति से आप प्रदूषण की मीटिंग करवा रहे हो, उतनी ही त्वरित गति से इनका समाधान होना चाहिए। या तो आप तारीख दे दो कि इस दिन समाधान करवा देंगे। आपने प्रदूषण कम करने के लिए 10 करोड़ की जो मशीनें लग कर प्रदूषण कम किया, लेकिन और कम प्रदूषण करें, क्योंकि अभी जो डाटा आये आपके इंजिनियर ने दिया है, वो डाटा सही नहीं हैं। लेकिन भविष्य में हो रहे प्रदूषण पर काबू पाया जाये और किसानों की जो मांग है, जब तक आप इनकी मांगों का समाधान नहीं करेंगे, तब तक ये गतिरोध बना रहेगा।

श्री शिवनारायण, निवासी रूपासर ने कहा कि जब से अंबुजा फैक्ट्री आई तब से आज तक हम परेशान है, हमारे परिवार की 100 बीघा जमीन है, आज तक एक रूपया नहीं मिला है, इनके पास जाते है तो बताया जाता है, कि हमने कोर्ट में डाल दिये। हमारे पैसे कोर्ट में क्यों डाले? हमें उचित जमीन दो। इस फैक्ट्री से 50 मीटर दूर हमारी ढ़ाणी है, हमारे खेत है, हमारी स्कूल है। प्रशासन के पास 2016 से आने जाने में पैर घिस गये है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। ढ़ाणियों के अन्दर जो गाये है, दोपहर के 2 बजे के ब्लास्ट से कभी तो एक गाय, कभी दो गायें छण (बच्चा गिर जाता है) जाती है। हजारों मोर थे जिन्हें हम दाना ड़ालते थे, वो अब बहुत मुश्किल से घर पहुंचते है। हमारे ढ़ाणियों में 36 की साल से गोगाजी महाराज की धाम आई तब से हमारे बाबा एवं हम सब ढ़ाणी निवासी धान डाल रहे है। अब मोर बहुत परेशान हो गये है, नाड़ियों में पानी आ नहीं रहा है, तो नहर का पानी गोगेलाव से ला रहे है, जिससे शरीर के खुजली होनी लगी है। हमें ये फैक्ट्री नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरे दिन धुंआ उड़ता है, बच्चे परेशान है, स्कूल के सारे बच्चों को पूरा दिन छिंक और खांसी आ रही है, पढ़ाई तो दूर की बात हो गई है। घर पर दूध पिलाते है, तो उन्हें खांसी के कारण दूध नहीं पी पाते है। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है और एक ये कि जब ये मीटिंग करों तो इन पुलिस वालों को तकलीफ मत दो, हम राजीखुशी खड़ रहेंगे, इससे कितना सरकार का खर्चा हुआ होगा, ये हम पर ही होगा ना, हम इन्हें कोई गालियां तो नहीं निकाल रहे है, ये हमारे भाई–गनाईत (समधी) है, इन्हें परेशान कर रहे हो, कोई ब्यावर से आये है, कोई मेड़ता से आये है, कोई जयपुर से आये है, इन्हें क्यों बुला रहे हो। आज इन्हें कुछ टीए–डीए दिया, कुछ नहीं देना और ना ही इन्हें बुलाना। काम हम लोगों से होगा, फैक्ट्री लगने देंगे तो हम लगने देंगे, नहीं लगने देंगे तो हम नहीं लगने देंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

इन भाईयों को पुलिस वालों को हाथ जोड़ कर कहना है, हमें वापस फेंक रहे हो, यह बाहर के लोग भला नहीं करेंगे, ये बाहर के पैसे खा कर, अपनी औलाद को यहा मार कर चले जायेंगे, वो गौरे लोग गये वैसे ये भी चले जायेंगे, और आप पुलिस वाले हमें ऐसे देख रहे हो, आपमें से कोई हमारे समधी होंगे, हमने आपको हमारी लड़कियां दी। कल लड़कियां लोगे किससे हमारी लड़कियां तो सारी बीमार हो जायेगी, तो पुलिस वालों को हाथ जोड़ कर कहना है, कि आपको कोई कितना भी कहे। म्यूटेशन का तो बोल ही रहा हूं ना, कि हमारे परिवार की 100 बीघा जमीन है, पैसे उठाये नहीं, इनसे बोलते है तो बोलते है मेड़ता कोर्ट में डाल दिये, अरे मेड़ता क्यों डाल दिये पैसे, हमारी जमीन थी, बोल रहे है 1 लाख 10 हजार, यहां इतने लोग है 1 लाख 10 हजार में यहां कोई जमीन आये तो हमें बताये, वरना मैं अपने खाता नम्बर देता हूं इन्होंने उसे सर्वे किया, चारों तरफ दिवार थी खेत के, 1 लाख 10 में आई क्या आज तक? तो पुलिस वालों आप तो हमारे भाई हो, आप तो इनके साथ मत रहो, आपको सरकार देगी, वो हमारी जेब से ही आपके आते है, इनसे आपके 10 रूपये नहीं आते और बड़े वालों के आते है तो हमें पता नहीं, आपके नहीं पहुंचेंगे। आज की ये जो मीटिंग है, ये रद्द होनी चाहिए और जब तक सब नहीं कहते तब तक आप खदान नहीं भरोगे और ये फैक्ट्री रहेगी, जैसे अभी 2 दिन से बंद है वैसे ही बंद रहनी चाहिए। कल को हम यहां है, और ये पुलिस लेकर आ जाये, ये बात गलत है, फिर कहोगे आदमी मर गये। आज आपको चेतावनी दे रहे है। पुलिस आनी ही नहीं चाहिए, क्यों आ रही है पुलिस, दो भाई लड़ रहे है, हम लड़ रहे है जमीन के लिए, इन्हें भी जमीन चाहिए और हमें भी जमीन चाहिए, पुलिस वालों को यहां क्या लेना देना, आप बीच में क्यों काला मुंह कर रहे हो। जो कि आपने तीन–तीन तारे लगा लिये, बहुत ज्यादा पढ़ लिये तब, हम तो स्कूल गये नही, तो आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं, सबसे ज्यादा आपको बोलता हूं किसी दूसरें को नहीं बोल रहे है। पैसों की कोई खीर नहीं होती, बहुत पैसे थे, फिर भी बच्चें कहीं रह गये, और उनकी माताऐं कहीं रह गयी, ये मेरे देखी बातें है। आपको जो अच्छा लगे वो करो पर खान आगे मत बढ़ाना और आज की यह मीटिंग रद्द होनी।

श्री रामलाल खोजा गांव खेरवाड़, ग्राम पंचायत डिडया कलां ने कहा कि ने कहा कि कल भी मैं इस जन सुनवाई में शामिल हुआ था, उसमें उसमें मैनें एक मांग की थी, कि जो मेरे गांव की शमशान भूमि, मैंने पिछले साल भी यह मांग की थी, अभी तक अंबुजा के लीज के अन्दर है। कल शाम तक मुझे ऐसे समाचार मिले थे, कि आपके गांव की शमशान भूमि को मुक्त कर रहे है, लेकिन मौखिक बोलने से अच्छा,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

मेरे गांव से अभी 100 आदमी आये हुवे है आपकी कम्पनी की तरफ से, जो मुखिया है, वो बोल कर और एडीएम साहब बोल दे कि शमशान भूमि को मुक्त कर देंगे। वैसे विकास के काम तो हुवे ही है, अच्छे कार्य भी हुवे है, और हमारी ग्राम पंचायत डिडया में भी, शायद हमारे नेताजी को ध्यान में नहीं है, वो दूसरे कामों में व्यस्त होंगे, डिडया में इन्होंनें काम करवाये है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शमशान भूमि और माता जी का मन्दिर, गांव का 500 साल पुराना बैरा, वो सब आपकी लीज के अन्दर है, वो जो 10 बीघा जमीन है, कृपया करके वो आप मेरे गांव के जो भी बड़े–बुजुर्ग आये है, हम हर बार आते भी है, हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, खेण और खेरवाड़ के साथ, खेण की मजबूती रही, उन्होंने अपना काम करवा लिया। लेकिन इस जमीन को लेकर आप तो हमें ले डूबे हो, और आपके अधिकारियों को, अभी हमारा सब कार्य मूण्डवा ही होता है। तो हम गांव की सभी जातियों के एक साथ ही शमशान है, ऐसा नहीं है, कि किसी का पांच बीघा है, किसी का दो बीघा है, किसी का एक बीघा है और रही बात हमारे गांव के कुछ किसान भी परेशान है जो इस धरने पर बैठे है उनका भी आप थोड़ा ध्यान दो, उनको भी 18 महीने से बैठे हुवे है, हमारे गांव में अच्छे कार्य किये भी है। हमारे शमशान भूमि, कुआं और जो भी पौधें लगाये है, उसमें थोड़े पानी की व्यवस्था भी करवाये।

श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि ने कहा कि खेरवाड़ का शमशान आपको दे दिया जायेगा एवं उसके चारदिवारी, गार्डन बनाना, एवं उस पर कोई माईनिंग नहीं होगी, उसें हम छोड़ देंगे साथ ही मन्दिर का सौंदर्यकरण भी हम कर देंगे। वो अंबुजा की तरफ से, मेरी तरफ से गारण्टी है, और इतने बड़े फर्म से एडीएम साहब को ये बोलता हूं, और उसमें जो भी रेवेन्यू से जो भी कार्यवाही करनी है, 3 बीघा 7 बीघा छोड़ने की वो हम कर देंगे।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने पूछा कि क्या आप कर सकते हो क्या?

श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि ने कहा कि जी कर सकते है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि कौनसे पॉवर, बताओ चलो। आप किस पोस्ट पर हो? जिसके प्रत्युत्तर में **श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि** ने बताया कि यूनिट हेड हूं।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने पुनः कहा कि तो कानून की किताब बता दो, और कानून की किताब में कहा लिखा है कि लीज के एरिये में से यूनिट

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

हेड जमीन को बाहर निकाल सकता है। आप कानून सम्बन्ध बात करो। एडीएम साहब बैठे है, लेण्ड रेवेन्यू जितने भी है, उसमें कही लिखा है क्या कि यूनिट हेड लीज एरिया में से जमीन को बाहर कर सकता है। वो हो तो भी बता दो आप। आपका तो पता ही नहीं कि यहां रहो कि नहीं रहो। यूनिट हेड और कोई आ जाये फिर। जिसके प्रत्त्युत्तर में **श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि** ने बताया कि सॉरी सर मेरे बताने में गलती हो गयी, एडीएम साहब बैठे है, ये सरकार देगी।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि इतने भी बड़े मत बनो कि मैं ऐसे कर दूंगा और एडीएम साहब सन्तुष्ट हो, तो आश्वासन दे दो, जिससे वास्तव में गांव वालों को भी कुछ लगे। आप बता दो कर सकते हो तो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि मैंने ऐसा बहुत कम बार ऐसा देखा कि तुरन्त ही एक मांग आयी और यूनिट हेड ने कहा कि शमशान की जगह माईनिंग नहीं करेंगे और वहां शमशान के जितने भी विकास कार्य है, वो करेंगे। बेहतर यही रहेगा कि इसको हम लिखित में ले और रिकॉर्ड रखे ताकि वो हमेशा–हमेशा के लिए वहां पर रहे, अगर 100 साल बाद भी कोई और अधिकारी यहां पर आये, प्लांट कार्य विस्तार हो, वो एक अलग ही स्थिति है, पर शमशान पर यथावत रहें। इस प्रकार इसको रिकॉर्ड में और नियम सम्मत कार्य करें।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि यह बात कहो ना नियम सम्मत, ताकि अपने गले से पिण्ड छूटें। यूनिट हेड से कहा कि जिस प्रकार एडीएम साहब ने बात को लुड़काई उसी प्रकार आप लुड़का दो, "एज पर लॉ"।

श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि ने कहा कि हमारी तरफ से, कम्पनी की तरफ से नहीं किया जायेगा।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि अरे! आप यहां रहोगे नहीं पांच साल बाद कोई दूसरा आयेगा, यहां शमशान में पत्थर अच्छा है, अच्छा CO_2 यूज कर रहे हो, खोदोगे ही और क्या करोगे। नियमानुसार आप उस जमीन को बाहर निकाल सकते है क्या, ये रेवेन्यू के ऑफिसर बैठे है। जिसके प्रत्युत्तर में **श्री चेतन रावल, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड प्रतिनिधि** ने कहा कि हम कम्पनी की तरफ से लिखित में दें देंगे कि हमारी तरफ से रिटर्न में चला जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

कैमरे की बात की, पुलिस की बात की, आपको 10 किलोमीटर दूर तो दिख रहा है, और यहां 100 मीटर की दूरी पर किसने पीटा है ये क्यों नहीं दिखा और हम धरने पर बैठे वहां से दोड़ कर जा रहे है उसको लाने के लिए, तो बोल आप दिख गये लेकिन वो नहीं दिखे। ये बातें अच्छी नहीं है, हमारे तालाब का 1500–1550 बीघा कैचमेंट एरिया अंगौर वापस बहाल होना चाहिए।

श्री लक्ष्मीनारायण मूण्डेल निवासी मूण्डवा ने कहा कि विगत दो दिनों से जन सुनवाई हो रही है, आपके सामने लगातार समस्याओं का आना जारी है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा। प्राइवेट कम्पनी में क्या होता है कि, जब भी अफसर आता है, उसको टारगेट पर काम करवाते है। जैसा की शैतान जी मास्टर साहब ने कहा कि हमसे बच्चों के नौकरी के नाम पर कागज लिये, ये सत्य बात है। लेकिन उस वक्त जो अफसर था वो केवल अपना टारगेट अचीव करने के लिए, उसको जो काम कराना था, वो काम कराया और निकल गया। कम्यूनिकेशन का बहुत अभाव रहा, भारत कृषि प्रधान देश है और अपनी नशों में किसानों है, सभी लोग चाहे कोई एमएलए है, कोई चैयरमेन है, सभी किसान परिवार से ही है, तो किसानों के संवाद की कमी रही। आप सरकारी कर्मचारी अगर कोई काम करते हो तो कोई लिखित रिकॉर्ड छोड़ कर जाते हो, जब नया अफसर आये तो वो उससे आगे से शुरू करें, प्राइवेट प्लांट के साथ यह दिक्कत आ गयी कि किसानों के साथ, 2005–2007 से जब इन्होंने जमीने लेनी चालू की, तब कोई अफसर था उसने लोगों को कोई कमेंटमेंट किया, 2–3 साल बाद उसका काम हुआ, तो उसको चैंज कर दिया फिर नया अफसर आ गया। जितनी भी बातें कही है किसानों ने उनके साथ कम्पनी के कमेंटमेंट था, लेकिन रिकॉर्डड कुछ नहीं है, जिनको जमीनें एक्वायर करनी थी वो एक्वायर करके निकल लिये, जो कुछ लिखना था करना था, कोई ऑथेंटिक अधिकारी नहीं थे लिखने के लिए फिर भी लिख कर चले गये। अतः एडीएम साहब एवं एसडीएम साहब आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी पब्लिक और प्लांट के मध्य कोई संवाद हो, कोई समस्या हो, उनकी मध्यस्था करने के लिए आप जरूर है, आप उसको एक ऑफिशीयल रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट बनाये, ताकि ये समस्या आती नहीं। जब बच्चों से डॉक्यूमेंट लिये तब कोई सक्षम सरकारी अधिकारी बीच में होता तो प्लांट को रोजगार देना पड़ता, डायरेक्ट एम्पलोयमेंट देना पड़ता। किसानों के जमीनें देनें में क्या सोच रही होगी, कितनी परेशानी रही होगी। ये एक म्यूटेशन वाली समस्या है, एक आदमी अपनी जमीन का पैसा नहीं उठाता और उसका म्यूटेशन हो जाता है, तो यह कितना गलत है तो प्लांट से भी निवेदन करूंगा, आप एक पब्लिक रिलेशन अफसर रखो, जिसको प्लांट के अन्दर मत रखो जिसका

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

ऑफिस होना चाहिए बाहर, जहां जब भी प्लांट को लेकर किसी भी व्यक्ति की समस्या आये, किसी भी सम्बन्ध में पीआरओ को जाकर अपनी बात कहे, और फिर आपके पास आये तो आप और वो बात कर सकते है। अभी प्लांट के पास पब्लिक प्रोब्लम सॉल्यूशन के लिए कोई अधिकारी है क्या? सबसे अलग-अलग काम में, फाउण्डेशन का काम आसपास के गांवों में करना है, यूनिट हेड का काम प्लांट का चलाना है, एचआर का काम नियुक्ति लानी है, एक सक्षम अधिकारी हो, ऐसी प्लांट की पॉलिशी होगी शायद मुझे जानकारी नहीं हो, लेकिन कम-से-कम प्लांट में कोई ऐसी ऑथेंरिटी भी हो, जो पब्लिक की समस्या को सूने और सून कर समाधान करें, 2-3 साल हो गये है यहां प्लांट को चालू हुवे, लेकिन आज भी लोग अगर समस्या कह रहे है तो उनकी बात में दम है, आप लोग यहां प्लांट लगा चुके हो जाने वाले कही नहीं हो, तो जो भी लोगों की वाजिब मांगे है उनका त्वरित निस्तारण करवाने का प्रयास करो, 17 महीने नहीं बैठा रहना पड़ता किसान को। कुछ इनकी भी मजबूरियां है, इनके पास ऑथेंटिक पॉवर भी नहीं है, कि ये किसान को कह दे कि मैं आपको ये दे दूंगा, इनके पास पॉवर ही नहीं है, ये पॉवर तभी होगा जब प्रशासन किसानों को साथ लेकर चलेगा। तो प्रशासन से भी मांग है कि इनका एक पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिस हो किसानों के लिए, वहां से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या, वो वहां सूनी जाये और प्रशासन बीच में मध्यस्था की भूमिका रख कर उन समस्याओं का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करे ताकि जब भी बात आये। आज वाकई नौकरी होती सब लोगों के पास, जिस किसान की जमीन गयी, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, जायेंगे कहा। लोग हाथ काट कर दे चुके है, लेकिन आज भी वक्त है, लेकिन अगर आप नया प्लांट लाने की सोचोगे, जो हाथ काट कर पहले लिये जा चुके है, एक बार उनको दुरस्त कर दो।

श्री घनश्याम सदावत पूर्व चैयरमेन मूण्डवा ने कहा कि मैं अपनी बात की शुरूआत किसानों को लेकर करूंगा, आज 17 महीने से किसान धरने पर बैठा है, अपनी जमीन की कीमत के लिए, अपने बने हुवे मकान की कीमत के लिए, और अपने ट्रांस्फर जो उनके कब्जें में, लम्बे समय से थे उन सब के लिए बैठे है। सबसे बड़ी शर्म की बात पहले तो प्रशासन की है, फिर अंबुजा सीमेंट और फिर हम जैसे जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे है उनके लिए है। पूर्ण जोर तरीके से जन सुनवाईयां आगे भी हुई और होती रहेगी, लेकिन ये किसान कब तक धरने पर बैठे रहेंगे, इनकी कोई सुनिश्चितता करने वाला, ऐसा सवाल ना तो आपकी तरफ से आया है, ना कम्पनी की तरफ से आया है, और ना ही कोई और तरीके से आया है। ये आज कहीं पर भी है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे है या इन्होंने प्रवास किया है कहीं और

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

जगह पर, और ये बैचारे सुबह से शाम तक धरने पर बैठे रहते है, अपने को 5 दिन एक ज़गह बैठने को कहा जाये तो किसी के लिए सम्भव नहीं है कि वो बैठ सके, लेकिन पिछले 17 महीनों से ये किसान बैठे है। प्लांट जो लग गये, जो नियम विधायक जी बता रहे थे, अन्य नेता बता रहे थे, उनकी भी आप इस मीटिंग के माध्यम से जांच करवा लो, पर्यावरण अधिकारी जी बैठे है, एडीएम साहब बैठे है, ये मुद्दे भी आप बीच में कर लो लेकिन जो महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है, वो अगर यहां किसान जो है वो अपनी जमीन के लिए धरने पर बैठा है तो यही निवेदन रहेगा कि अडाणी जी के कोई पैसों की तो कोई कमी है नहीं, प्लांट और अडाणी एक ही बात हो गई, अब उसमें से देने किसानों को ही है, किसी की जेब में डालने तो है नहीं, और वो भी मांग रहे है तो अपनी जमीनों की मांग रहे है, तो यूनिट हेड भी यहां पर है, कोई बीच का रास्ता निकाल कर, ये तो है नहीं कि यही जिद्द करके बैठे है, कोई बीच का रास्ता निकाल कर पहले इनको सन्तुष्ट करो। व्यापार तो सभी करते है कोई छोटा तो कोई बड़ा, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा कर करो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भगवान आपको कुछ कर रहा होगा। इनकी यही मांग है सर्वप्रथम इनके साथ बैठ कर, वैसे प्रशासन आपने दो–तीन बार मीटिंग्स ली, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं निकला, अभी किसानों ने मुझे ये लेटर दिया है, 10–12 किसान आये थे, अब इनका एक एक्सप्लोसिव गोडाउन बना हुआ है, आसपास की जो जमीने थी, जिनको खरीदनी थी, वो तो खरीद ली, अब जो किसान वहां खेती करते है, उनके ना तो आपस में मेड़ें है, ना दिवारें बची है और ना ही बाड़ बची है, उनके उजाड़ हो गये है, तीन खेत ले लिये एक लिया नहीं, चार ले लिये एक लिया नहीं, तो किसानी का सबसे पहले जो सेफ्टी वाला पांईट ऑफ व्यू होता है, आज वो वहां खेती कर ही नहीं पा रहे है, उसके अलावा जब भी खेत में ये कुछ चाय बगैरा बनाना चाहते है तो वहीं से बबूल की जाड़ियां काट कर, घास–पूस से बनाते है तो ये जट से आकर रोक देते है कि यहां एक्सप्लोसिव पास में है, या तो उनका निस्तारण करो, उसको स्फिट करो कहीं, या नहीं करो तो इन किसानों को सहमत करने इनको भी साथ में लो। रूपासर एवं ईनाणा के अलावा मूण्डवा के किसानों की केमिकल्स लाईन में जमीनें आ रखी थी, अब आपने उस वक्त खरीद तो ली, जो रेट थी, उनको एक–एक पेज दे दिया, उसी के वक्त का, कि आगामी जो भी जमीनें खरीदी जायेगी, आगे जो रेट होगी वो रेट हम आपके दे देंगे। अब कहीं किसान आते है कि ये लिखा हुवा है, कि हमें अंबुजा के अधिकारियों ने लिख कर दिया कि हम ये रेट आगे बढ़ा कर आपको दे देंगे, तो उसकी भी इन्होंने कही टाइम पहले रजिस्ट्री करवाई तो उसका भी तो निस्तारण करवाओ और अगर नहीं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

हो तो उनके लिए कोई व्यवस्था करवाओ। प्रथम दृष्टा जैसे बात उठाई थी, जैसे आज यहां ब्लास्टिंग हो रही है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप यहां से सीट पर जाते ही, तहसीलदार, आरआई और पटवारी की एक टीम बनाओ, जो की रूपासर, ईनाणा, मूण्डवा कल ही घर–घर जाये, और उनके इस माईनिंग की वजह से दरारें आई हुई है, उनकी रिपोर्ट आपके सामने सबमिट करें एवं उसका हर्जाना वो कम्पनी भरकर, वो सही करवा कर उनको देने का श्रम करावें। स्थानीय एज्युकेशन, मेडिकल, और जैसे की आज प्रदूषण पर एक ही मुद्दे पर बात रही कि प्रदूषण होता आया है, तो इसकी आप टीम बनाओ, और कम्पनी को भी यह कहो कि हर महीने यहां जांचें करवाये और उनकी यथासम्भव व्यवस्था कराये, ऐसे तो किस तरीके से तीन–चार सालों से तो प्लांट चल रहा है, और भी आगे चलता रहेगा। हमारा कोई उद्योग का विरोध नहीं है, हमारे स्थानीय किसान जो धरने पर बैठे है, उनका निस्तारण प्राथमिकता से करवाओ और स्थानीय निवासियों की जो भी समस्याऐं है, वो ध्यान में रखो और मेरे से पूर्व इन सब ने जैसे बताया क्यों ना एक सिस्टम, कम्पनी इतनी दातार तो है ही, बना दे की एक जनसुनवाई केन्द्र मूण्डवा में खोल लेवें, अपनी समस्याऐं बताये वहां बैठे, जब आप कमा यहां से रहे हो तो खर्च भी यही करो, चाहे मेडिकल का हो, एज्युकेशन हो, या कुछ और। तो मुख्य चीज यहीं है कि आप किसानों को सन्तुष्ट पहले करें।

श्री मदनाराम निवासी ईनाणा ने कहा कि मेरा 10 बीघा खेत है उसमें से आधा बीघा जमीन मैंने स्कूल में अनुदान दी, कम्पनी ने 8 लाख 60 हजार की बात हुई और 5 लाख रूपये मुझे दिये और जब स्कूल की जमीन भी कम्पनीं ने ली तो मेरी जमीन का मुआवजा नहीं दिया। जब पूछा तो कहा गया कि वो तो सरकार की है।

श्री जगदीश डिडेल, नगर अध्यक्ष मूण्डवा ने कहा कि सभी ने अपनी–अपनी बातें रखी, उनको अंबुजा कम्पनी एवं प्रशासक सभी ध्यान में रखकर सभी समस्याओं का समाधान करें।

श्री गंगाराम बावरी निवासी मूण्डवा ने कहा कि मूण्डवा में गंदे नाले का पानी एक उत्तर में एवं एक पश्चिम में जा रहा है, उत्तर वाला तो है फैक्ट्री के सामने ही एवं पश्चिम में जाता है वो एक खान में जाता है। खान के पास बहुत सारे घर है, वो बदबू से परेशान है और जो नाला फैक्ट्री के सामने जाता है उस नाले में नगरपालिका के लिए कम्पनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इससे उन्होंने जमीन भी ले ली और कहां गया कि पेड़–पौधों को पानी देंगे, परन्तु वो पानी देते नहीं है। नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

से जब मूण्डवा पहुंचते है तब उसकी बहुत ज्यादा बदबू आती है। जिससे पता चल जाता है कि मूण्डवा आ गया है।

श्री शिवनारायण, निवासी रूपासर ने कहा कि यहां सभी लोग पूछ रहे है कि क्या यह मीटिंग रद्द हो गई है।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि मीणा जी सबकी जो इच्छा है, कि जिन–जिन ने विचार व्यक्त किये, सबको प्रोसिडिंग लेकर और मैं आपको लेटर जो मंत्री महोदय ने सांसद महोदय को भेजा है, वो भी आपको दे रहा हूं। यह हमारी आपति है कि इस मीटिंग को स्थगित करके, नई तारीख, सभी लॉकल अखबारों में पब्लिस्ड करके, उनके बाद आयोजित करे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आप में से कोई भी जो लिखित में देना चाहता है, वो हम तक पहुंचा दे, आरओ साहब एवं तहसीलदार आप अपनी टीम के भेज कर सबसे लिखित सुझाव/आरोप/आक्षेप जमा करवा लेवे। कोई भी कोई जन मानस अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते है तो कृपया प्रस्तुत करे। आपके सुझाव, आपकी बात जो भी आपने कहा है, एवं लिखित में दिया है, आप सब की बात उच्च स्तर तक पहुचां दी जायेगी। आप बोलने वाले हो और मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हूं, अन्तिम निर्णय, कोई भी डीसिजन लेने का अधिकार उनके हाथ में है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में प्राप्त आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **"परिशिष्ट स" पर संलग्न है।**

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

उपस्थिति पत्रिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, गोजूला चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, गोजूला चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और डिडियाकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	चम्पालाल जीनगर	ADM नागौर	[signature]
2	Prabhjot Singh Gill	SDM Mundwa	[signature]
3	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	[signature]
4	Hemant Kumar	JEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
5	SARTHAK TIWARI	J.S.O., RSPCB, RO, NAGAUR	[signature]
6	Rajveer Bhakar	J.S. Collectorate Nagaur	[signature]
7	Chetan Raval	Unit Head (Marwar Mundwa)	[signature]
8	Lokesh Shrimali	Plant Mgr.	[signature]
9	Pankaj Verma	P.H. Marwar Mundwa	[signature]
10	Jitendra Kumawat	Mines Head	[signature]
11	Sanjeev Kr Singh	Head Env - BD	[signature]
12	Narsingh Ram ILA	Mundwa	[signature]
13	Sanjeev Singh	Head Env. - ACL Lakheri	[signature]
14	Mayur Potkalar	Geologist ACL	[signature]
15	Tej Pandey	Env. Head (MM)	[signature]
16	Ramesh Kumar	JM EnviroNet Pvt Ltd	[signature]
17	Samanya Singh	J.M EnviroNet Pvt Ltd	[signature]
17	R.K Verma	" "	[signature]
18	Shandan Kumar	Head Env Ambuja	[signature]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समयः दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
19	सुखराम	खारड़ी	सुखराम
20	[illegible]लाराम	मु.पो. [illegible]	[illegible]
21	मुकेश	बिरोद	मुकेश
22	बस्तीराम	बिरोद	बस्तीराम
23	अजीतसिंह	कड़ाणा	अजीतसिंह
24	[illegible]	खेड़	[illegible]
25	गणपतसिंह	~~[illegible]~~ मूण्डवा	गणपत सिंह
26	मनीराम	कड़ाणा	मनीराम
27	रामकिशोर	नागौर	Ram
28	प्रकाश	आसावरी	प्रकाश
29	पपूराम	आसावरी	पपूराम
30	पर्वत सिंह	टांगला	पर्वत सिंह
31	दलीपसिंह	पालड़ी जोधा	दलीपसिंह
32	चांद	मूण्डवा	चांद
33	मनोज	नागौर	
34	Ramesh	RAWALDUA	Ramesh
35	अजय	मूण्डवा	Ajay
36	Manish Yadav	कुचेरा	Manish
37	नारायण	आकेली	नारायण

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और डिडियाकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समयः दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
38	रोहित	मा. मु.	रोहित
39	रामनिवास	मडावाड़	रामनिवास
40	सत्यनारायण	मडावा	[illegible]
41	बीबी कुमार	महेश्वर आगरा	[illegible]
42	महबूब	म. मूण्डवा	महबूब
43	Naresh	खुड़खुड़ा	Naresh
44	Rizwan	मूण्डवा	Rizwan
45	Jugal Kishor	Rojan Badi	[illegible]
46	गरीबराम	रूपासर ईनाणा	गरीबराम
47	मनराम	चाखो	मनराम
48	Pawan Choudhary	Sulundiya	PC
49	भागीरथ खर्रा	[illegible]	Bharth
50	रामगोपाल	मूण्डवा	रामगोपाल
51	~~विजेन्द्र~~	~~[illegible]~~	~~विजेन्द्र~~
52	ज्योतेश चौ.A	मूण्डवा	[illegible]
53	Rajendra	[illegible]	[illegible]
54	~~राधेश्याम~~	रूपा	राधेश्याम
55	~~मूलाराम~~	गगवाना	~~मूलाराम~~
56	Ankush Goyal	NOKHA	Ankush

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-।।) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और छिछ्याकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. । परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील-मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
57	हरेन्द्र	रेंवा	Harendra
58	दिलीप	चिरोद	दि
59	रामकिशोर	चिरोड	[illegible]
60	सुरेन्द्र	चिरोड	[illegible]
61	सुरेश	सोलिया गांव	सुरेश
62	Moda Ram	[illegible]	[illegible]
63	सुरेश	पालड़ी जोधा	सुरेश
64	हनुमान राम	मूंडवा	[illegible]
65	राजुराम	मडाणा	राजुराम
66	ओमप्रकाश	नराधना	ओमप्रकाश
67	सद्दीक खां	मा. मूण्डवा	सद्दीक
68	आकुक	पालड़ी जोधा	आ क प
69	नेमाराम	नराधना	नेमाराम
70	Jitender	Gotan	[illegible]
71	RamSingh	Inana	रामसिंह
72	भंवराराम	रामपुरा	भंवराराम
73	Khet singh	मूण्डवा	KS
74	रामचन्द्र	नागौर	[illegible]
75	रेवतराम	मडाणा	रेवतराम

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-।।) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और छिछयाकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. । परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
76	रुपाराम	मूण्डवा	रुपाराम
77	हरिराम	"	हरिराम
78	विक्रम सिंह	"	विक्रम सिंह
79	भगाराम	"	भगाराम
80	सुरेश	"	सुरेश
81	राजी मो.	"	राजी मो.
82	महबूब	"	Mehboob
83	Kadar	"	Kadar
84	महावीर सिंह	ईनाणा	महावीर
85	गरीबराम	रूपासर ईनाणा	गरीबराम
86	Jaipal Singh	नागौर	[illegible]
87	अर्जुन	भडाणा	अर्जुन
88	खानूराम	निम्बड़ी	खानूराम
89	जयकीशन	खवासपुरा	जयकीशन
90	दिनेश	भडाणा	दिनेश
91	Hajari	कस्लु	[illegible]
92	sajan Giri	कस्लु	सज्जनगिरी
93	KajaRam	मावला	कैलाशराम
94	Pardeep	मावला	प्रदीप [illegible]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव– रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँकः **28.05.2025,** **समयः दोपहर 03:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
95	राम निवास	पालड़ी जोधा	[illegible]
96	मुन्नाराम	मारवाड़ मुण्डवा	[illegible]
97	कानाराम	मुण्डवा	कानाराम
98	गजेन्द्र	"	गजेन्द्र
99	हुकमाराम	"	हुकमाराम
100	हलिम	"	हलिम
101	असलम	"	असलम
102	सद्दाम	"	सद्दाम
103	मेहबूब	"	[illegible]
104	फिरोज	"	फिरोज Khan
105	सादुदीन	"	Sadudeen
106	[illegible]	"	[illegible]
107	आशारा	"	आशारा
108	मेहबूब	"	मेहबूब
109	पीराराम	"	पीराराम
110	कादर	"	कादर
111	शिवराज	"	शिवराज
112	राजेश	"	राजेश
113	अमरम	"	अमरम

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–।।) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिडियाकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. । परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
114	छोटाराम	नराधना	छोटाराम
115	Anil	Borwa	Anil
116	Vishnu	Bhadana	[signature]
117	गरीबाराम	[illegible]	गरीबाराम
118	गौतम जोशी		गौतम जोशी
119	घनसिंह	सोलियाना	घनसिंह
120	श्रवणराम	खींवा	श्रवणराम
121	सुरेश पाठक	[illegible]	सुरेश
122	जुगल किशोर	रियां बड़ी नागौर	[signature]
123	रामकैलाश	[illegible]	राम कैलाश
124	महावीर	पालड़ी जोधा	महावीर जोधा
125	Prakash Ram	Gotan	[signature]
126	नेन सिंह	[illegible] भीलवाड़ा	नेन सिंह
127	रजनीश	[illegible]	रजनीश
128	रामकुंवार	मुण्डवा	रामकुंवार
129	धन्नाराम	मुण्डवा	धन्नाराम
130	Dinesh	Mundwa	Dinesh
131	Arjun Ram	Mundwa	Arjun
132	ओमप्रकाश	मुण्डवा	ओमप्रकाश

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिडियाकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
133	Prakash Ram	Ratan	[signature]
134	प्रकाश	असावरी	प्रकाश
135	पपुराम	असावरी	पपुराम
136	हनुमानराम	श्वेनु	हनुमानराम
137	[illegible]	सोमणा	[illegible]
138	सुरताराम	सोमणा	सुरताराम
139	नाथूराम	डीडियाकला	नाथूराम
140	[illegible]	अडाणा	[illegible]
141	सद्दीक	मूण्डवा	सद्दीक
142	इकराम राम	मूण्डवा	[signature]
143	ओमप्रकाश	नराधना	ओमप्रकाश
144	[illegible]	[illegible]	[signature]
145	महबूब	मूण्डवा	महबूब
146	सोहनराम	अडाणा	सोहनराम
147	गरीबराम	रूपासर ईनाणा	गरीबराम
148	[illegible]	रूपासर ईनाणा	[illegible]
149	[illegible]	ईनाणा	[illegible]
150	[illegible]	[illegible]	[signature]
151	[illegible]	[illegible]	[signature]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समयः दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
152	दिनेश	[illegible]	दिनेश
153	Suresh	Kaly seni	[illegible]
154	हेरन्द्र	[illegible]	[illegible]
155	[illegible] किशोर	[illegible]	[illegible]
156	हनुमानराम	[illegible]	हनुमानराम
157	आकाश	मूण्डवा	आकाश
158	मेहबूब	मूण्डवा	मेहबूब
159	पेमाराम	मूण्डवा	पेमाराम
160	कादर	मूण्डवा	कादर
161	पृथ्वीराज	मूण्डवा	पृथ्वीराज
162	रमेश	मूण्डवा	रमेश
163	मकरन	मूण्डवा	मकरन
164	रज्जाक	मूण्डवा	रज्जाक
165	हबीब	मूण्डवा	हबीब
166	हिम्मतसिंह	मूण्डवा	हिम्मतसिंह
167	अमराराम	मूण्डवा	अमराराम
168	सुरेश	मूण्डवा	सुरेश
169	हनी. मो	मूण्डवा	हनी. मो.
170	कुम्भाराम	मूण्डवा	कुम्भाराम

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–।।) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हैक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और खिंयाकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. । परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
171	Riyaj	कुचेरा	Riyaz
172	RAMSINGH	INANA	रामसिंह
173	Kadam	मूण्डवा	Kadam
174	दिनेश	[illegible]	दिनेश
175	नेमाराम	नराधना	नेमाराम
176	राजुराम	भडाणा	राजुराम
177	भंवरलाल	रामपुरा	भंवरलाल
178	चैनसिंह	सोनियाणा	चैनसिंह
179	[illegible]	भडाणा	[illegible]
180	[illegible]	भडाणा	[illegible]
181	[illegible]	[illegible]	[illegible]
182	[illegible]	[illegible]	[illegible]
183	महावीर	पालड़ी जोधा	महावीर
184	[illegible]	खिंवसर	[illegible]
185	[illegible]	खिंवसर	[illegible]
186	[illegible]	मो. कुचेरा	[illegible]
187	Naresh	[illegible]	Naresh
188	[illegible]	[illegible]	[illegible]
189	[illegible]	[illegible]	[illegible]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँकः 28.05.2025, समयः दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
190	वसंत	मुण्डवा	वसंत
191	अहमद	मुण्डवा	अहमद
192	हकीम	मुण्डवा	हकीम
193	महेन्द्र	मुण्डवा	महेन्द्र
194	कानाराम	मुण्डवा	कानाराम
195	मेहबूब	मुण्डवा	[illegible]
196	साबुद्दीन	मुण्डवा	Sabudeen
197	वसीम	मुण्डवा	Vasim
198	फिरोज Khan	मुण्डवा	फिरोज Khan
199	चौथूराम	खेण	चौथूराम
200	सुभाष	खेण	सुभाष
201	भवराम	खेण	भवराम
202	राकेश	खेण	राकेश
203	किशनराम	खेण	Kishan
204	अर्जुनसिंह	लोडियाना	अर्जुन
205	महावीरसिंह	लोडियाना	महावीर
206	राधेश्याम	लोडियाना	राधेश्याम
207	पृथ्वीसिंह	लोडियाना	पृथ्वी
208	अनोपसिंह	लोडियाना	अनोपसिंह

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03 / 1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी / आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिडियाकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील–मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: **28.05.2025**, समयः **दोपहर 03:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
209	GIRISH	Mundwa	[signature]
210	नृसिंहराम	मूण्डवा	[signature]
211	Sunil Nandwana	Mundwa	[signature]
212	Krishna Kumar	Mundwa	[signature]
213	भजनराम	भडाणा	भजनराम
214	रामकिशोर	मडेला	Ramkesh
215	रमित	कालेसमनी	Ramit
216	नाथूराम	डिडियां कलां	नाथूराम
217	Devendra singh	Nagaur	[signature]
218	लालसिंह	खोलियाणा	लालसिंह

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–।।) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड़ और डिडियाकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. । परियोजना स्थल, गाँव– ईनाणा, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
219	खानूराम	निम्बड़ी	खानूराम
220	जयकीशन	[illegible]	जयकीशन
221	रामकैलाश	[illegible]	रामकैलाश
222	विक्रम सिंह	पालड़ी सिंधा	[illegible]
223	साबीर	मूण्डवा	साजीद
224	सुखराम	खारड़ा	सुखराम
225	[illegible]	[illegible]	[illegible]
226	पर्वत सिंह	टांवाला	पर्वत सिंह

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और डिडयाकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपाथल, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
227	दलीपसिंह	पालड़ी जोधा	दलीपसिंह
228	पप्पूराम	असावरी	पप्पूराम
229	[illegible]	पालड़ी जोधा	[illegible]
230	मेहबूब	मा. मूण्डवा	[illegible]
231	गंगाराम बावरी	मा. मूण्डवा	गंगाराम
232	[illegible]	ईनाणा रूपाथल	[illegible]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और खिंवताला, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
233	Bhegwat	[illegible]	[signature]
234	Parmeshwar	Mundwa	[signature]
235	निरमा	खींवसर	निरमा
236	अनिता	खींवसर	Anita
237	सरोज	खींवसर	[signature]
238	प्रहलादराम प्रजापत	बुनरावता	[signature]
239	रामकिशन चोधरी	मुण्डवा	[signature]
240	Jeevendra Kumar	Khimsar	[signature]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.–II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र– 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा– 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)– 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव– खेरवाड और डिड्याकलां, तहसील–जायल, तथा गाँव–रूपासर, तहसील– मूण्डवा जिला–नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान– एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. I परियोजना स्थल, गाँव– ईनाना, तहसील– मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: 28.05.2025, समय: दोपहर 03:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
241	भूपेन्द्र सिंह राव	State Incharge Corporate Affairs, Ambuja	[signature]
242	प्रसेनजीत राठौड़	PSM - LAKHERI Jaipur	[signature]
243	अजीत सिंह राठौड़	OSD अम्बुजा सिमेन्ट	[signature]
244	Ravindra Pandey	Head - HR	[signature]
245	दिनेश कुमार	Security Head Mundwa	[signature]
246	DIGVIJAY RAWAT	Admin Head Mundwa	[signature]

उपस्थिति पंजिका

लाइम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

प्रस्तावित लाइम स्टोन खनन परियोजना, आवेदक **मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड**, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूण्डवा, चूना पत्थर, एम.एल.-।।) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा- 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गाँव- खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील-जायल, तथा गाँव-रूपासर, तहसील- मूण्डवा जिला-नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल. । परियोजना स्थल, गाँव- ईनाणा, तहसील- मूण्डवा, जिला नागौर

दिनाँक: **28.05.2025,** समय: **दोपहर 03:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
247	Samrata Bishnoi	GangaNagar	Sal
248	ममता रवदाव	लूणियासर	Mamta
249	राजेन्द्र मुण्डेल	मूण्डवा	राजे
250	रामकुमार	नि.बड़ी. लाँदावता	रामकुमार

advertisement in any manner whatsoever.

OIPR 4035/11/0026/2526

Sd/-
Chief Construction Engineer
Northern (R&B) Circle, Sambalpur

...of Opening of ...O/O S.E.R.W. ..., Balasore

	Financial Bid
	?
	Will be intimated later

Sd/-
...rodhan Behera
...Circle, Balasore.

...RPORATION

...RFB

...om eligible Bidders for the ...MIS System for Ahmedabad ...cellence Project of the World

...ment	Period of Completion
...0	90 months (Including 60 months O&M)

...ent and other documents as ...er timetable.

...e	Time (IST)
...il 23, 2025	10:00 AM
...il 23, 2025	10:00 AM
...y 07, 2025	12:00 Noon
...e 04, 2025	11.59 PM
...il 23, 2025	10:00 AM
...e 18, 2025	03:30 PM
...e 18, 2025	04:00 PM

...d Municipal Corporation

Demand Notice

...Xaviers School, C- ...w.hdfcbank.com ... Mumbai- 400020

...y Interest Act, 2002 (Act) read with Rule 3 of ...of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC ...on'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th ...curity Interest Act, 2002 and in exercise of ... issued Demand Notices under Section 13 ...der, to pay the amounts mentioned in the ...elow. The undersigned have, caused these ...Heir(s) / Legal Representative(s). Copies of ...ntative(s), may, if they so desire, collect the

...al Representative(s) to pay to HDFC, within ...rs, together with further interest as detailed ...ent and / or realisation, read with the loan ...payment of the loan, the following Secured ...egal Representative(s) attention is invited to ...serve.

...ription of Secured Asset(s) ...mmovable Property (ies)

(e)

...03 FLOOR-2, BHIRGU APARTMENT ...ANSAROVAR JAIPUR (RAJASTHAN)

...OR-GROUND , A G HEIGHTS, PLOT F ... CITY VILLAGE HATOJ, KALWAR ROAD ...ASTHAN)

...th Floor, Chinar Apartments, Cosmos Greens, ...ur Alwar Byepass Road, Bhiwadi Alwar

... UNIT-20 CAPITAL GALLERIA PHASE I, ...KANAKPURA INDUSTRIAL AREA SIRSI ...R (RAJASTHAN)

...3, First Floor, Sector-10, EWS-Aravali Vihar ...adi, District Alwar, Rajasthan

...nant Villa'S S No Kh. No.1903,1905,1906 ...10, At Village-Sirsi Jaipur (Rajasthan)

...SECTOR-8(UIT) NEW SCHEME - BHIWADI ...19 (RAJASTHAN)

...EME NO.13KARNI COLONY (SCHEME ...R SARKARI, SIKAR ROAD JAIPUR ...)

... SF, FLOOR-2, RAJSHREE ROYAL ...PLOT 22, KHNO. 541, 560/540, 561/540, ...VILL-SAIDPUR, TIJARA, BHIWADI, DIST- ...than)

...FLOOR-SEVENTH, VAISHALI UTSAV ...ASRA NO. 2047, VILLAGE SIRSI, JAIPUR

...OF-A-113 ROW HOUSE, ALSO-KNOWN-AS- ...DAM VIHAR, NANDKISHOREPURA URF ...AS, TEHSIL – SANGANER, JAIPUR

...d / or realization.
...the above Secured Asset(s) / Immovable ...said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal

...he aforesaid Secured Asset(s) / Immovable ...ion who contravenes or abets contravention ...ed under the Act.

For HDFC Bank Ltd.,
Sd/- AUTHORISED OFFICER

AAVAS FINANCIERS LIMITED

(CIN:L65922RJ2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020

APNE AAPEN SAATH HAMAARA

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the dates mentioned as below.
The borrower andGuarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the AAVAS FINANCIERS LIMITED for an amount mentioned as below and further interest thereon.

Name of the Borrower	Date & Amount of Demand Notice	Description of Property	Date & Type of Possession
GODAWARI DEVI, MR. RAJENDRA GUARANTOR : MR. PARVEEN KUMAR (A/C NO.) LNMER03517-180062550	31 JAN 25 Rs. 4129287/- 30 JAN 25	PATTA NO. 129, SANKALAP SANKHYA. 1/12, DATE 25.07.1990, RECEIPT NO. 65, DATE 25.05.1991, GIFT DEED DATE 9-10-2017 ,NEAR HARIJAN BASTI, GRAM MEDATA ROAD, TEHSIL MEDATA, DISTT. NAGAUR, RAJASTHAN ADMEASURING 4480.60 SQ FT	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 APR 25
LILU SINGH, REKHA KANWAR GUARANTOR : NARENDRA SINGH (A/C NO.) LNTAR00615-160023576	11 FEB 25 Rs. 256551/- 8 FEB 25	PATTA NO. 47, GRAM PANCHAYAT REDDI, PANCHAYAT SAMITI - TARANAGAR, DIST - CHURU, RAJASTHAN ADMEASURING 121.65 SQ.YARD	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 APR 25
RADHAKISHAN SHARMA, MANJU BAI GUARANTOR : SHANKAR LAL SHARMA (A/C NO.) LNCHI00615-160015987	11 FEB 25 Rs. 141247/- 8 FEB 25	PATTA NO. 90 GRAM PANCHAYAT - MANGALWAD, PANCHAYAT SAMITI - DUNGLA, DIST.- CHHITORGARH, RAJASTHAN ADMEASURING 360 SQ.FT.	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 APR 25
SANDEEP KUMAWAT, JAGDISH KUMAWAT, GANESHI DEVI (A/C NO.) LNRAJ02918-190094690	4 FEB 25 Rs. 814054/- 3 FEB 25	PATTA NO. 85, DHANARIYO KI GALI , GRAM SANWAD TH. AND DIST. RAJASAMAND RAJASTHAN (INDIA)- 313324 ADMEASURING 1004.5 SQ. FT.	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 21 APR 25
GHISU LAL, MRS. PHULI DEVI (A/C NO.) LNPAL02917-180063669	1 JAN 22 Rs. 651484/- 27 DEC 21	PROPERTY SITUATED AT PATTA NO 13, BOOK NO. 27, MISAL NO. 61/2016-17, JAWALI, TH RANI, DIST PALI, RAJASTHAN ADMEASURING 842.80 SQ. FT.	PHYSICAL POSSESSION TAKEN ON 19 APR 25
KAILASH CHAND SAINI, CHHAGANI DEVI, CHANDRA PRAKASH SAINI (A/C NO.) LNJPT02918-190083840 & LNMJP09620-210160971	4 FEB 25 Rs. 1664273/- & Rs. 779225/- 3 FEB 25	PLOT NO. 86, SCHEME ANAND NIKETAN, BINDAYAKA, BUS STAND, JAIPUR RAJASTHAN (INDIA)- 302012 ADMEASURING 133.33 SQ. YD	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 22 APR 25
DEVENDRA SINGH, MRS. SURAJ KANWAR (A/C NO.) LNBND02618-190076445	23 JUL 21 Rs. 250050/- 22 JUL 21	FLAT NO. 14, BLOCK NO. E-2, THIRD FLOOR, UNDER CM AAWAS YOJNA 2015, VILL. GANDHI GRAM ROAD, BUNDI RAJASTHAN, ADMEASURING 346 SQ. FT	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 22 APR 25
MOHAN LAL PANCHAL, OM PRAKASH PANCHAL, KANTI BAI PANCHAL GUARANTOR : Mr. KISHAN CHAND GURJAR (A/C NO.) LNKTA02616-170041959	17 JUL 21 Rs. 226507/- 16 JUL 21	FLAT NO. 188, S.R NO. 1036, CATEGORY GENERAL (EWS), MOHAN LAL SUKHADIYA, AFFORDABLE AAWASIYA YOJNA, KOTA, RAJASTHAN, ADMEASURING 325 SQ. FT.	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 22 APR 25
RAVINDRA SHARMA, ASHISH KUMAR BHARDWAJ,RAJKUMARI RAJKUMARI (A/C NO.) LNBTR03522-230232702	6 DEC 23 Rs. 844386/- 4 DEC 23	HAKIM JI KA KATARA, MASANI MOHALLA , DEEG , TEH .- DEEG DISST.- BHARATPUR PIN- 321001 ADMEASURING 101.58 SQ. YD.	PHYSICAL POSSESSION TAKEN ON 22 APR 25

Place : Jaipur Date: 24-04-2025 Authorised Officer Aavas Financiers Limited

PUBLIC NOTICE

ICICI Bank Branch Office : ICICI Bank Limited Shal Tower Plot No-23, New Rohtak Road Karol Bagh New Delhi-110005

The following borrower(s) has/have defaulted in the repayment of principal and interest towards the Loan facility(ies) availed from ICICI Bank. The Loan(s) has/have been classified as Non-Performing Asset(s) (NPA). A Notice was issued to them under Section 13(2) of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, at their last known addresses. However, it has not been served and are therefore being notified by way of this Public Notice.

Sr No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address	Description of Secured Asset to be enforced	Date of Notice sent/ Outstanding as on Date of Notice	NPA Date
1.	Gaurav Enterprises, Neha Gupta, Gaurav Gupta, Neeraj Gupta, 687805500156, Represented By Proprietor Neha Gupta, 53, Bharat Motor Stores, New Motor Market, Rajasthan, Kota- 324007	Residential Property Flat No. 105 (2 BHK), First Floor, Plot No.B-1 (Corner), "Millenium Apartment", Parvtipuram, Bundi Road, Village Khunhari, Tehsil Laadpura, District Kota, Rajasthan.	21/03/2025 Rs. 20,52,109 69/-	15/01/ 2025
2	Aakansha Agencies, Renu Agrawal, Devansh (Under Guardianship of Renu Agrawal), Rishika Alias Gungun, 685505605278, Dindayal Park, Baran Marg Chauraha, Baran, Rajasthan, Baran 325205	Leased Commercial Property Bearing Shop No. C/2, Size 25'x105'= 2625 Sq. Feet, Krishi Upaj Mandi Samiti Baran (Rajasthan), Tehsil & District Baran, Rajasthan.	11/03/2025 Rs. 98,64,558.19/-	06/07/ 2023
3.	Shri Ganpati Tube Well Co., Sima Mittal, Hemant Mittal, Sourav Mittal, Mahesh Kumar Mittal Huf, Mahesh Kumar Mittal Huf, Mahesh Kumar Mittal Huf, Mahesh Kumar Mittal, 175305500667 & '175351000512, Represented By Proprietor Mahesh Kumar Mittal, E 268, Bank Colony, Murlipura, Jaipur- 302039	Address- 1: Property Bearing Plot No. 19, Measuring Area 444.44 Sq. Yrds. I.E 371.59 Sq. Mtrs, Situated At Lalpura Colony, Vanasthali Marg, Chaukadi Havali, Station Road, Jaipur, Rajasthan Address- 2: Commercial Property Bearing Khasra No.3971/1, Rakba 0.3100, Total Measuring Area 616.22 Sq. Yrds. Situated At Scheme Shyam Colony, Ward No. 15, Village Shahpura, District Jaipur, Rajasthan	17/03/2025 Rs. 3,84,62,801.05/- & Rs. 12,14,33,092.52/-	25/02/ 2025
4.	Universal Textiles, Anjali Toshniwal, Mukul Lakhotia, Rajendra Kumar Lakhotia, M/s. Sahaj Fashions Limited (Represented By Directors Rohit Toshniwal, Mukul Lakhotia, Norat Mal Choudhary, Sadhanar Toshniwal, Prabha Lakhotia, Brij Behari Gupta & Sudhir Omprakash Maheshwari), Rajendra Kumar Lakhotia, 683905500244, Represented By Partners Anjali Toshniwal & Mukul Lakhotia, Shree Bhawan, Ajmer Road,, Madanganj, Kishangarh, Ajmer, Rajasthan, Ajmer- 305801	Address- 1. Residential Property Bearing Plot No. 105 Measuring Area 193.33 Sq. Yrds, Plot No.106 Measuring Area 198.33 Sq. Yrds, Plot No.111a Measuring Area 1087.50 Sq. Yrds, Combined Total Measuring Area of 3 Plots 1479.16 Sq. Yrds, Part of Khasra No. 119,120 & 121, Situated At Shree Colony, Ramner Road, Madanganj Kishangarh, District Ajmer, Rajasthan. Address- 2: Property Bearing Plot No. 2, Measuring Area 256.37 Sq. Mtrs, Situated At Chirstain Ganj, Ajmer, Near Kaji Ka Naala, Makadwali Road Scheme No.1, District Ajmer, Rajasthan.	03/04/2025 Rs. 3,80,35,938.83/-	27/02/ 2025
5.	Budhmal Bafna And Sons, Bindu Devi Bafna, Ranveer Bafna (Under Guardianship of Mother Bindu Devi Bafna), Minakshi Bafna (Under Guardianship of Mother Bindu Devi Bafna), Ranveer Bafna (Under Guardianship of Mother Bindu Devi Bafna), 671305601886, Gandhi Chowk, Ladnu, Nagaur, Rajasthan, Nagaur- 341306	Residential Lease Hold Plot Measuring Area 4770 Sq. Feet, Vide With Sale Deed Dated 25/07/2003, Situated At Ward No. 21, North Side of Station Road, on Way To Kumharo Ka Bass, Ladnu, District Nagaur, Rajasthan.	29/03/2025 Rs. 91,35,348.97/-	09/02/ 2025

These steps are being taken for substituted service of Notice. The above borrower/s and/or guarantor/s (as applicable) is/are advised to make the outstanding payment within 60 days from the date of publishing this Notice. Else, further steps will be taken as per the provisions of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Date: April 24, 2025 Place: Jaipur Sincerely, Authorised Signatory For ICICI Bank Ltd.

...उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, देवगढ़, जिला- राजसमन्द। ...
...जनसुनवाई हेतु दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार) को ... राजसमन्द पर दोपहर 12:30 ... सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर ... कार्यालय, राजसमन्द में भी प्रस्तुत कर सकते है।

आज्ञा से,
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं. राजसमन्द

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लाइम स्टोन खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूंडवा, चूना पत्थर, एन.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गांव- खेरवाड़ और डिग्गाकल्ला, तहसील- जायल तथा गांव रूपासर, तहसील- मूंडवा, जिला- नागौर (राजस्थान) में लाइम स्टोन के खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 8. उपखण्ड अधिकारी, मूंडवा। 9. तहसीलदार, नागौर। 10. तहसीलदार, मूंडवा। 11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 12. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नागौर। 14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मूंडवा। 15. ग्राम पंचायत, डिग्गाकल्ला। 16. ग्राम पंचायत, ईनाणा। 17. एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम. एल.। परियोजना स्थल, गांव-ईनाणा, तहसील-मूंडवा, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 28.05.2025 को दोपहर 3:00 बजे स्थान एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल.। परियोजना स्थल, गांव-ईनाणा, तहसील-मूंडवा, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।
इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लाइम स्टोन खनन परियोजनाम मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूंडवा, चूना पत्थर, एम.एल.-1) एम.एल. संख्या 111/2007, प्रस्तावित क्षेत्र- 699.99 हेक्टेयर, विस्तारित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 3.0 मिलियन टीपीए से 14.0 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा - 0.68 मिलियन टीपीए, ओवर बर्डन 3.96 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 18.64 मिलियन टीपीए) के लाइम स्टोन के खनन एवं 2000 टीपीएच के एक मौजूदा क्रशर के साथ 2000 टीपीएच के एक प्रस्तावित क्रशर, निकट गांव- रूपासर, ईनाणा, भड़ाना व मूंडवा, तहसील- मूंडवा, जिला-नागौर (राजस्थान) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, मूंडवा। 8. तहसीलदार, मूंडवा। 9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मूंडवा। 12. नगर पालिका, मूंडवा। 13. ग्राम पंचायत, ईनाणा। 14. ग्राम पंचायत, भड़ाना। 15. एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम. एल.। परियोजना स्थल, गांव-ईनाणा, तहसील-मूंडवा, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 28.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे स्थान एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम.एल.। परियोजना स्थल, गांव-ईनाणा, तहसील-मूंडवा, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।
इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

ने कहा यदि तुम्हारे मन में मेरे
पर विश्वास नहीं है तो श्री राम
रीक्षा कर लो। जिससे तुम्हारा भ्रम
हो जाएगा। संत ने दक्ष प्रजापति
ज्ञ विध्वंस का भी प्रसंग वर्णन
इस अवसर पर फिरोजपुरा के
सती माता सोहनी बाई का
ग हुआ और उन्होंने धर्म सभा को
त करते हुए परिवार में एक
व्यक्ति का आदर करते हुए
त रहना चाहिए।

महंत जानकी दास ने पहलगाम घटना की निंदा की

आज हमारे हिंदू धर्म में इन संस्कारों की दिनों दिन कमी आती जा रही है, जिसके कारण हमें जगह-जगह अपमानित होना पड़ रहा है। हम यदि संगठित रहेंगे तो हमारा हर जगह प्रभाव रहेगा। कथा के आरती के अवसर पर महंत जानकी दास ने कश्मीर में पहलगाम में हुई घटना की निंदा करते हुए यह बताया कि आतंकवादियों ने मारने वाले लोगों को केवल धर्म की पहचान के आधार पर मारा। क्योंकि वह हिंदू थे। इस अवसर पर भादवासी के संत तुकाराम महाराज, गोराउ गांव के महंत तुलसीदास, संत रामदास महाराज तथा गोराउ गांव के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मुरलीधर डोडवाड़िया ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

अध्यक्ष का समाज ने किया स्वागत

भास्कर न्यूज | मेड़ता सिटी

पुष्कर के शंकराचार्य दसनाम गोस्वामी गृहस्थ आश्रम नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन भारती (पालड़ी कला) का मेड़ता में गोस्वामी समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। कार्यकारिणी के मीडिया प्रभारी व मेड़ता गोस्वामी समाज नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुनील पुरी ने बताया कि कुछ दिन पहले पुष्कर के वैष्णव धर्मशाला में मंदिर शंकराचार्य दसनाम गोस्वामी गृहस्थ आश्रम पुष्कर की कार्यकारिणी के चुनाव हुए। गोस्वामी समाज के सैकड़ों नागरिकों ने मोहन भारती पालड़ी कला को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया।

पातेली में विश्व पुस्तक दिवस मनाया

कुचेरा. आयोजन में दौरान पुस्तकों के साथ मौजूद विद्यार्थी।

भास्कर न्यूज | कुचेरा

निकटवर्ती गांव पातेली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। शिक्षक सत्य प्रकाश गोदारा ने बताया कि विश्व पुस्तक दिवस हर वर्ष महान् नाटककार शेक्सपीयर की याद में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों ने विभिन्न पुस्तकों को पढ़ा। विद्यार्थियों को किताबों के महत्व के बारे में जागरूक करना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना। शिक्षिका आरती ने बताया कि चित्र/कॉमिक रूपी पुस्तकों से प्राथमिक कक्षा के बच्चों की पढ़ाई को सहज, सरल चित्रों के माध्यम से रुचिकर बनाना है। इस दौरान शिक्षिका कोशल्या मौजूद रहीं।

बड़े पीर साहब दरगाह में 843वें उर्स की शुरुआत

दरगाह का प्रसिद्ध कबुली का विशेष लंगर बनाकर फातिहा लगाया जाएगा

भास्कर न्यूज | नागौर

जीलानी रोड पर स्थित बड़े पीर साहब की दरगाह में गौसे आजम के बड़े साहबजादे कुतबूल हिन्द हजरत सैय्यद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जीलानी का 843वां सालाना दो दिवसीय उर्स 23 अप्रैल को शुरू हुआ।

इस अवसर पर कुतबूल हिन्द के मजार शरीफ को गुस्ल देने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर

दरगाह के सज्जादा नशीन सैय्यद सदाकत अली जीलानी ने बताया कि 24 अप्रैल मुताबिक 25 शवाल को बाद नमाजे असर कुरआन ख्वानी होगी तथा इसके बाद लंगर ए गौसिया का आयोजन होगा। इस मौके पर दरगाह का प्रसिद्ध कबुली का विशेष लंगर बनाकर फातीहा लगाकर जायरीनों में तकसीम किया जाएगा। उर्स को लेकर अनेक अकीदतमंद शामिल हुए। इस दौरान अनेक लोग मौजूद रहे।

नागौर. उर्स के अवसर पर अकीदत के फूल पेश करते अकीदतमंद।

माज के प्रतिभावान विद्यार्थियों व खिलाड़ियों का होगा सम्मान

गा, कल निकाली जाएगी शोभायात्रा

नया दरवाजा स्थित सेन भवन में होगा प्रसादी का आयोजन

गुरुवार को नया दरवाजा स्थित सेन भवन में शाम को 7 बजे जागरण व प्रसादी का आयोजन रहेगा। वहीं शुक्रवार को दिनभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिसमें सुबह आठ बजे झांकियों से सजी शोभायात्रा गिन्नाणी तालाब सेन की बगीची से निकाली जाएगी। शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण कर वापस सेनजी की बगीची पहुंचेगी। इस दौरान शोभायात्रा का विभिन्न जगहों पर स्वागत भी किया जाएगा। हर साल की तरह सेन महाराज की माला के लिए बोली भी लगाई जाएगी। शोभायात्रा के बाद जयंती समारोह में समाज के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मूंडवा के सेन मंदिर में भी सुंदरकांड के पाठ व जयंती पर शोभायात्रा निकाली जाएगी। वहीं मेड़ता, सोयला, खींवसर, रोल व आस-पास को गावों में भी सेन महाराज की जयंती पर हवन, जुलूस व सुंदरकांड पाठ के आयोजन होंगे।

कुप्रथाओं की आलोचना व मानवता के लिए किया काम

ज के लोगों ने बताया कि महापुरुषों में शिरोमणि सेन जी महाराज का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समकालीन भगत सेन ने श्री रामानंद से ग्रहण कर तीर्थ स्थानों की यात्राएं ज्ञान उपार्जन के लिए किया। इन तीर्थ नों की यात्राओं के समय वे भेदभाव से ऊपर उठकर कई स्थानों पर न करते। उन्होंने जाति व धर्म से ऊपर उठकर कार्य किए और सच्ची ता का संदेश दिया। समाज में फैली कुप्रथाओं की आलोचना करते उन्हें दोष पूर्ण बताकर समाज सुधार के लिए हर संभव प्रयास करते थे।

3 दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ: ट्रस्ट के अध्यक्ष सुंदरलाल सेन ने बताया कि जयंती से पहले समाज के युवाओं व बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें तीन दिन क्रिकेट, कैरम व बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं हुई।

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'लाइम स्टोन खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, (मारवाड़ मूंडवा, चूना पत्थर, एम.एल.-II) एम.एल. संख्या 03/1994, प्रस्तावित क्षेत्र- 635.00 हेक्टेयर, मौजूदा चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.0 मिलियन टीपीए से 4.5 मिलियन टीपीए तक, शीर्ष मृदा 0.20 मिलियन टीपीए, अपशिष्ट (ओबी/आईबी)- 3.17 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 7.87 मिलियन टीपीए), निकट गांव- खेरवाड़ और डिड्याकलां, तहसील- जायल तथा गांव रूपासर, तहसील- मुंडवा, जिला-नागौर (राजस्थान) में लाइम स्टोन के खनन की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद् नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 8. उपखण्ड अधिकारी, मुंडवा। 9. तहसीलदार, नागौर। 10. तहसीलदार, मुंडवा। 11. क्षेत्रीय प्रबंन्धक, रिको, नागौर। 12. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नागौर। 14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मुंडवा। 15. ग्राम पंचायत, डिड्याकलां। 16. ग्राम पंचायत, ईनाणा। 17. एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज एरिया, एम. एल.। परियोजना स्थल, गाँव-ईनाणा, तहसील-मुंडवा, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 28.05.2025 को दोपहर 3:00 बजे स्थान एच.ई.एम.एम. वर्कशॉप के पास, खनन लीज़ एरिया, एम एल.। परियोजना स्थल, गाँव-ईनाणा, तहसील-मुंडवा, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी